Fortnightly per copy Rs. 12/- ओ३म् 18th August 2024

आर्य जीवन

ఆర్య జీవన్

संस्कृति संरक्षण व सामाजिक परिवर्तन का संकल्प

హిందీ-తెలుగు ద్విభాషా పక్ష పత్రిక

Website : http://www.aryasabhaapts.org Narendra Bhavan Phone No. : 040 24760030

Date of Publication 2nd and 17th of every Month, Date of Posting 3rd and 18th of every Month

आर्य शहीद जिन्होंने अपने खून से निज़ाम के शासन को ध्वस्त कर हमें आज़ादी दिलाई थी

आजादी की लड़ाई में शहीद होने वाले वीरों को शत्-शत् नमन
आईए आर्य सत्याग्रह के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें
जिन्होंने जीवन दिया उनकी याद में आज नए भारत के निर्माण का संकल्प लें

सामूहिक श्रावणी उपाकर्म पर्व एवं हैदराबाद आर्य सत्याग्रह बलिदान दिवस

सोमवार के दिन प्रातः ९.३० बजे से

सोमवार के दिन प्रातः ९.३० बजे से

NEW DELHI 24.8.24 110001

ARYA PRATINIDHI SABHA AP-TELANGANA

Maharshi Dayanand Marg, Sultan Bazar, Hyderabad-500095.

रोलट एक्ट और जलियांवाला बाग की बर्बर घटना

जलियाँवाला बाग हत्याकांड, १३ अप्रैल १९१९ की घटना, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने जलियाँवाला बाग नामक खुले स्थान पर निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की थी। भारत के पंजाब क्षेत्र (अब पंजाब राज्य) में अमृतसर में पुलिस द्वारा किए गए बर्बर हमले में सैकड़ों लोग मारे गए और सैकड़ों अन्य घायल हो गए।

प्रथम विश्वयुद्ध (१९१४-१९१२९) चल रहा था उसी समय भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए भारत तथा विदेशों में अनेक प्रकार की गतिविधियां प्रारम्भ हो गई थी। इनमें क्रान्तिकारी कार्यक्रमों का आयोजन मुख्य लक्ष्य था। भारतवासी तथा भारत के प्रवासी यह मनौती कर रहे थे कि इस युद्ध में अंग्रेज गठबन्धन हारे और जर्मनी जीत जाए, क्योंकि जर्मनी भारत की आजादी का समर्थक और सहयोगी था, किन्तु भारतीयों की यह मनौती पूरी नहीं हुई। जर्मनी हार गया और इसके साथ ही भारतीयों का भाग्य भी हार गया। इस प्रकार आजादी का लक्ष्य भी अधूरा रह गया।

अंग्रेज सरकार की विजय होने के बाद भी अंङ्ग्रेज भारतीयों को किसी प्रकार की ढिलाई नहीं देना चाहते थे। उन्होंने इस अवधि में उठे जन-आन्दोलनों को जड़ के कुचल देने का इरादा बनाया और इसके लिए एक राजद्रोह निवारण समिति (सिडीशन कमेटी) बनाई जिसके अध्यक्ष अंग्रेज न्यायाधीश रोलट थे। इस कमेटी ने लोगमान्य बाल गंगाधर तिलक से लेकर सभी क्रान्तिकारी और गैर क्रान्तिकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की और उनका दमन करने के लिए सुभाव दिया। इस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए एक विधेयक बना जिसे 'रोलट एक्ट' नाम दिया गया। इस विधेयक के द्वारा भारतीयों के आजादी प्राप्त करने के सारे अवसर छीन लिए गए थे।

सारे देश में इसके विरुद्ध आन्दोलन खड़े हो गए। इसी अवसर पर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकार के लिए लड़ चुके महात्मा गाँधी भी कार्यक्षेत्र में आए और उन्होंने घोषणा की कि यदि सरकार यह कानून बनाएगी तो देश में असहयोग आन्दोलन शुरू किया जाएगा और अंग्रेजों का भारत में रहना असम्भव कर दिया जाएगा। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार ने जितना दमन करने की सोची थी, विद्रोह उतना ही व्यापक स्तर पर भड़क उठा।

इसी रोलट एक्ट के विरोध में जलियां वाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था।

१३ अप्रैल १९१९ को वैसाखी का पवित्र त्यौहार था। लगभग २०-२५ हजार आबाल वृद्ध-नरनारी अमृतसर के जलियांवाला बाग में रोलट एक्ट का शान्तिपूर्ण विरोध करने के लिं एक जनसभा के रूप में एकत्रित हुए थे। यह बाग चार दीवारी से घिरा था और इसमें से निकलने का एक ही रास्ता था। अंग्रेज सरकार को स्वाधीनता के लिए जुटी इतनी बड़ी भीड़ नहीं सुलाई। आजादी के इच्छुक भारतीयों को भयभीत करने के लिए कुख्यात और क्रूर जनरल डायर एक पलटन को लेकर आया। उसने पहले बाग के रास्ते को रोक लिया और फिर सेना ने बाग को घेर लिया। फिर शान्त एवं निहत्थी उस जनसभा पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। रास्ते की ओर सेना खड़ी थी। हथियारबन्द सैनिकों को देखकर लोग दीवार फान्दने लगे। सैनिकों ने दीवार फान्दने वालों को विशेष रूप से निशाना बनाया। हजारों की भीड़ पर अन्धाधुन्ध गोलियां चल रही थीं। पलटन के पास जब तक आखिरी गोली रही, गोली चली। गोलियां समाप्त होने के बाद बर्बर जनरल डायर की गोरी पलटन रोते-बिलखते, चीखते-चिल्लाते, घायल बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं, युवकों को वहीं जैसा का तैसा छोड़कर चली गई। **बाग में लाशों के ढेर लग गए थे। पन्द्रह मिनट में कुल १६५० राउण्ड गोलियां चलीं।** एक गोली कई-कई लोगों को घायल करती या मारती गई। डर के मारे जहां भीड़ और गहरी हो गई वहीं पर इशारा करके गोली चलवाई गई। जन. डायर को जैसे हत्या का पागलपन सवार था।

दुनिया के इस सबसे अधिक नृशंस काण्ड में एक हजार के लगभग लोग मारे गए और दो हजार के लगभग घायल हुए। सभ्यता के इतिहास में इतना क्रूर और घृणित हत्याकांड कभी नहीं हुआ।

इस जघन्य व्यापक हत्याकाण्ड के विरोध को दबाने और सि पर लीपापोती करने के लिए अंग्रेज सरकार ने सिकी जान्च के लिए हण्टर कमीशन बैठाया। जनरल डायर ने उसके सामने जो बयान दिया उसमें पश्चात्ताप का स्तीभर भी अंश नहीं था, अपितु उसने जले पर और नमक छिड़क दिया। जब उससे पूछा गया कि क्या उसने लोगों को पहले तितर-बितर करने का प्रयास किया ? और क्या गोलीकाण्ड के बाद घायलों की मदद की ? बर्बर डायर ने बड़े अहंकार के साथ उत्तर दिया कि **''मैंने लोगों को तितर-बितर करने की आवश्यकता नहीं समझी और उस समय घायलों की मदद करना मेरा कर्तव्य नहीं था।'**

भारतीय जनता की इस पीड़ा को पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर ने और बढ़ा दिया। उसने एक तार भेजकर डायर के कार्य को न केवल उचित ठहराया अपितु उसकी प्रशंसा भी की। ऐसे बर्बर लोगों का इलाज शान्ति नहीं, क्रान्ति ही को सकती है। क्रान्तिकारी ऊधमसिंह ने जनरल डायर के देश इंग्लैण्ड जाकर उसकी हत्या से इस नृशंस काण्ड का कुछ बदला तो चुका ही लिया।

भारतीय जनता को आतंकित करने के लिए अंग्रेज सरकार ने जलियांवाला बाग का घृणित काण्ड किया किन्तु इससे स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जोश और उत्साह में कमी नहीं आई अपितु यह काण्ड स्वाधीनता-प्राप्ति का एक प्रमुख कारण बना। यह काण्ड अंग्रेजी सिंहासन का पलीता बनकर सामने आया।

हैदराबाद सत्याग्रह के आठवें सर्वाधिकारी श्री विनायकराव विद्यालंकार

-इन्द्र विद्यावाचस्पति

२३ जून १९२९ के दिन सत्याग्रह के सातवें सर्वाधिकारी पं. ज्ञानेन्द्र भूष गिरफ्तार हो गए। पूर्व निश्चय के अनुसार उनके पश्चात् बैरिस्ट्र विनायकराव विद्यालंकार आठवें सर्वाधिकारी घोषित किए गए।

इससे पूर्व हैदराबाद में आर्य समाज की प्रगति के प्रकरण में पं. विनायकराव जी की चर्चा आ चुकी है। आप रियासत में आर्य समाज के संस्थापक पं. केशवराव जी के सुपुत्र हैं। पण्डित केशवराव जी हाईकोर्ट के जज होने के अतिरिक्त निज़ाम के विश्वासपात्र सलाहकारों में से थे। यह उनके विश्वास की दृढ़ता का प्रमाण था कि वे निज़ाम के विश्वास पात्र अधिकारी होते हुए भी आर्य समाज के कार्य में अग्रसर होते हुए न घबराते थे। जब महात्मा मुन्शीराम जी ने पहले-पहल गुरुकुल की स्थापना का प्रस्ताव लेकर प्रतिज्ञानुसार तीस हजार की राशि पूरी करने के लि देश का दौरा लगाया, तब उन्हें हैदराबाद में निमन्त्रित करके धन-संग्रह कराने की हिम्मत आप ही ने की थी। अपने जीवन काल में आप नरेश और प्रजा दोनों के हितकर्ता और प्रेम पात्र बने रहे। यह हैदराबाद के सौभाग्य की बात थी कि पं. केशव जी अपने पीछो जो उत्तराधिकारी छोड़ गए वह भी अपने पिता का सुयोग्य पुत्र था।

पं. विनायकराव जी गुरुकु विश्वविद्यालय कांगड़ी के विद्यालंकार हैं। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त करके आप इंग्लैण्ड गए और बैरिस्टर बन कर वापिस आए। देश में आकर आपने जहां एक ओर वकालत का काम शुरू किया वहां साथ ही आर्य समाज और रियासत के अन्य सार्वजनिक कार्यों में अपने पिता की प्रवृत्तियों में सहयोग देने लगे। हैदराबाद के कार्यकर्ता प्रारम्भ से ही यह अनुभव करने लगे थे कि विनायकराव जी में वे सब गुण प्रभूत मात्रा में विद्यमान हैं, जिनकी एक सार्वजनिक नेता के रूप में आवश्यकता होती है। विचारों में दृढ़ता, व्यवहार में कुशल और स्वभाव में शान्त-ये गुण तो आपमें हैं ही। इन सबके अतिरिक्त जो बहुत दुर्लभ गुण आप में है, वह है आपकी सचाई। आपसे सम्बन्ध रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह विश्वास रखता है कि राव जी की वाणी या कार्य में छल नहीं है। एक सार्वजनिक कार्यकर्ता की यह सबसे बड़ी सम्पपति है।

कुछ ही वर्षों में पं. विनायकराव जी की वही स्थिति बन गई जो पं. केशवराव जी की थी। वे राजा और प्रजा दोनों के सम्मान-पात्र बन गए। रियासत की आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान के नाते से आर्य समाज के सर्वमान्य नेता तो आप थे ही, रियासत की अन्य नैतिक, सामाजिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों में भी आप प्रमुख कार्य करने वाले नेता माने जाते थे। यह परिस्थिति थी, जब निज़ाम की सरकार ने आर्य समाज का दमन प्रारम्भ किया। उसके आरम्भ से सातवें सार्वधिकारी की गिरफ्तारी तक का वृत्तान्त हम सुना चुके हैं। उस वृत्तान्त में इतना जोड़ना बाकी है कि सत्याग्रह का जो चक्र घूम रहा था, उसका केन्द्र बिन्दु पं. विनायकराव जी का निवास स्थान था। सब युद्ध-मन्त्रणाएं वही होती थीं, आपत्ति ग्रस्त स्वयंसेवक वहीं रक्षा पाते थे और जब सुलह की बातचीत आरम्भ हुई तब भी वही स्थान था जहां महत्वपूर्ण निश्चय किए गए। यह सब कुछ था और रियासत के अधिकारी भी उसे जानते थे। परन्तु विनायकराव जी की व्यक्तिगत और सार्वजनिक प्रतिष्ठा के कारण अधिकारियों को उन पर हाथ डालने का साहस नहीं हुआ। सत्याग्रह आरम्भ होने से पूर्व एक बार शहर के मुसलमान गुण्डों ने यह घोषणा करके कि सारे फिसाद की जड़ राव जी ही हैं, उनके मकान पर धावा बोल दिया था। अकस्मात् वे घर में नहीं थे। उपद्रवी लोग घर को लूटने ओर परिवार के लोगों को कष्ट देने के मनसूबे बना ही रहे थे कि पुलिस का अंग्रेज कप्तान अकस्मात् वहां जा पहुंचा और परिस्थिति को सम्भाल लिया। उपद्रवकारियों का प्रयत्न भी व्यर्थ हुआ। पं. विनायकराव जी यथापूर्व सत्याग्रह के सन्चालन में मुख्य भाग लेते रहे।

जून के अन्तिम सप्ताह में विनायकराव जी ने सर्वाधिकारी के रूप में आर्य सत्याग्रह की बागडोर अधिकृत रूप में अपने हाथों में ले ली। उस समय सत्याग्रह पर्याप्त वेग से चल रहा था। उसे और भी अधिक वेगवान् बनाने के लिए राव जी (पं. विनायकराव जी-हैदराबाद में वे राव जी के नाम से प्रसिद्ध हैं) ने भारत भर का दौरा करने का निश्चय किया। पहली जुलाई को आप हैदराबाद से चलकर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में आपका शानदार स्वागत हुआ। सायंकाल के समय सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें आपने हैदराबाद की समस्या का वास्तविक रूप बड़ी स्पष्टता से समझाया। आपके उस भाषण की दिल्ली के उन समाचार पत्रों में भी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हुई, जोब तब तक उदासीन थे। दिल्ली से आप उत्तर प्रदेश का दौरा प्रारम्भ करने के लिए सबसे प्रथम अपनी कुलमाता गुरुकुल में गए। वहां आपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया और छात्रों को पहले जत्थे की सफलता पर बधाई देते हुए प्रोत्साहित किया। वहां से आप मुजफ्फरनगर आदि अनेक नगरों में गए और सत्याग्रह के लिए

उत्साह जागृत करने के साथ धन-संग्रह भी करते रहे। इस दौरे में आपके संग प्रिन्सिपल देवीचन्द्र एम.ए., पं. कालीचरण जी, पं. शिवदयालु जी और 'दिग्विजय' के सम्पादक श्रीकृष्ण विद्यार्थी भी रहे।

इन दौरों में राव जी ने संयुक्त प्रान्त के सभी बड़े-बड़े नगरों में व्याख्यान दिए। २१ स्थानों पर आपका स्टेशनों पर स्वागत किया गया। सार्वजनिक सभाओं में दिए गए भाषणों की संख्या ३० थी। सत्याग्रह के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आपको १६,५०० रुपया प्राप्त हुआ। कई स्थानों पर आपका जलूस हाथियों पर निकाला गया। हिन्दू जनता हैदराबाद के नेता के दर्शनों के लिए बहुत ही उत्सुक थी। पं. विनायकराव जी के सफल दौरे के दो परिणाम हुए। एक ओर आर्य जनता का विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया कि हैदराबाद में आर्य सत्याग्रह को सफलता अवश्य मिलेगी और दूसरी ओर निज़ाम सरकार के पांव लड़खड़ा गए। जिन दिनों राव जी उत्तरीय भारत में घूमकर सत्याग्रह का सन्देश सुना रहे थे, उन दिनों अहमदनगर के केन्द्रीय शिविर में १२०० नए सत्याग्रही आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़े थे और चारों ओर से सत्याग्रहियों के नए जत्थों के आगमन के समाचार पहुंच रहे थे। इसी समय अजमेर से श्री पं. जियालाल जी ने दुसरी 'सत्याग्रही स्पेशल ट्रेन' भेजने की योजना बनाई जिसका नाम "देवेन्द्र स्पेशल" रख गया। उसके लिए सिकन्दराबाद गुरुकुल के आचार्य श्री पं. देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री, तथा अजमेर के श्री डॉ. सूर्यदेव शर्मा एम.ए., डी.लिट्. और कविरत्न पं. प्रकाशचन्द्र जी का डेपुटेशन एक मास तक राजस्थान और संयुक्त प्रान्त में घूमता रहा, जिसने ३०० से अधिक सत्याग्रही तथा धन स्पेशल ट्रेन के लिए तैयार किए। स्पेशल ट्रेन जुलाई के आरम्भ में अजमेर से रवाना हुई। उस समय बाहर की दुनिया ने आश्चर्य से देखा कि शत्रु के किले में सुलह की सफेद झंडी दिखाई दे रही है।

'महकम-ए-उमूर-मजहवी' के निज पत्र 'वक्त' के अपने ७ जुलाई १९३९ के अंक में लिखा था कि पं. विनायकराव जी बैरिस्टर सत्याग्रह नहीं करेंगे। चूंकि २२ जुलाई से पहले ही निज़ाम सरकार आर्य समाज की मांगें स्वीकार कर लेगी।"

रियासत के एक कट्टर इस्लामी अखबार में इस भविष्यवाणी का निकलना इस बात का चिह्न था कि हैदराबाद के कर्णधार अपने पक्ष की निर्बलता को अनुभव करने लग गए हैं। उन्होंने सब उपाय कर लिए, झूठे आश्वासनों की लोरियों से सुलाकर देख लिया, हिन्दू संस्थाओं और महन्तों के सामने सोन के ढेर लगाकर दान-उपाय का प्रयोग कर लिया, आर्यों से सनातन धर्मियों को फोड़ने का भी चेष्टा की। जनता में अफवाहें तो यहां तक फैल गई थीं कि सत्याग्रह के कई कट्टर समर्थक समाचार पत्रों को हिस्से तथा विज्ञापन के बहाने से पुष्कल धनराशि देकर फोड़ने की चेष्टा की गई और अन्तिम उपाय-दण्ड-का प्रयोग भी खुले-बन्दों किया गया। दमन का कोई साधन बाकी न छोड़ा गया। रोकने के उपाय समाप्त हो रहे थे और उधर हैदराबाद के ही प्रमुख नागरिक द्वारा देश में यह घोषणा की जा रही थी के निज़ाम रियासत की नीति धार्मिक पक्षपात से पूर्ण होने के कारण आर्य-हिन्दू धर्म के लिए अत्यन्त हानिकारक है। अंगरेजी सरकार ऊपर से यह घोषणा करती हुई भी कि हम रियासतों में हस्तक्षेप नहीं करते, हैदराबाद रियासत की जेलों के सम्बन्ध में किए आरोपों की गुप्त रूप से तहकीकात करा रही थी। यही सब कारण थे जिन्होंने निज़ाम की अभिमानी सरकार को झुकने के लिए बाधित कर दिया। सर अकबर हैदरी, जो कल तक सत्याग्रह को दबाने का दृढ़ संकल्प कर रहे थे, एकाएक सुलहपसन्द राजनीतिज्ञ के रूप में रंगमंच पर प्रकट हुए।

వైదిక ధర్మము-విశిష్టత

హిందీ మూలం : లాలా రామ్‌ప్రసాద్ జ. వి.ఎ.
తెలుగు అనువాదము : ఆచార్య అరవింద్ శాస్త్రి

వైదిక ధర్మములో ఎన్నో విశేషమైన విషయములు ఉన్నాయి. దీని వల్లనే ఇది వేరే మతముల కంటే ప్రధానమైన స్థానాన్ని సంతరించుకొన్నది. ఈ రోజులలో భిన్న భిన్న మతాలను అవలంబించిన వారిలో ప్రేమ భావాన్ని ఉత్పన్నము చేయు దృష్టితో చాలా మంది మహానుభావులు "అన్ని మతాలు ఒకే వారిని సూచిస్తాయి" అని చెప్పడం వింటూ ఉంటాం. భిన్న భిన్నమైన పేర్లతో అన్నీ ఒకే పరమాత్ముని పూజా విధానాన్ని పేర్కొంటాయి. మనము మన ఆలోచనా రాహిత్యము వలన వ్యర్థముగా పరస్పరము పోట్లాడుకుంటాము. కావున అన్ని మతాలు సమాన రూపంలో మాన్యమైనవే అనేది వీరి అభిప్రాయము.

నిజం చెప్పాలంటే "అన్ని మతాలు ఒకే దారిలో నడిచే విషయాన్ని సూచిస్తున్నాయి, ఒక జగదీశ్వరుని గురించి నిర్దేశిస్తున్నాయి" అనే మాట సరియైనది కాదు. పరమాత్ముని నమ్మక పోవడమే గాక పూర్ణ రూపములో దానిని విరోదించే వారు కూడా ఉన్నారు. ఉదాహరణకు చార్వాకులు-వీరినే సాధారణ భాషలో నాస్తికులు అని పిలుస్తారు. దేవ సమాజీలు కూడా ఇదే శ్రేణిలోకి వస్తారు. పరమాత్ముని పట్ల ఉదాసీన భావాన్ని కలిగి యున్న వారు కూడా ఉన్నారు. ఉదాహరణకు బౌద్దులు. అలాంటప్పుడు అన్ని మతాలు సమాన రూపంలో పరమాత్ముని పూజా విధానాన్ని నేర్పుతున్నాయని ఎట్లా చెప్ప గలము ?

అన్ని మతాల సిద్ధాంతాలు కూడా ఒకే విధంగా లేవు. జైనులు, బౌద్దులు జీవరక్ష, అహింసలను పరమ ధర్మంగా భావిస్తే ముస్లిములు మూగ జీవాలను (జంతువులను) బలి ఇవ్వడం తమ ముఖ్య కర్తవ్యముగా భావిస్తారు. క్రైస్తవ మతంలో ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ ఒకే సమయంలో ఒకరికంటే ఎక్కువ భార్యలను కలిగి ఉండడాన్ని ఒప్పు కోదు. కాని ముస్లిములు వీరి షరియత్ ప్రకారము నాలుగు స్త్రీల వరకు భార్యలుగా పొంద వచ్చును. అదే విధంగా ఎన్నో విషయాలున్నాయి. అందుకనే అన్ని మాతాలూ ఒకే విధమైన ఆచరణను నిర్దేశిస్తాయి అనే విషయము సరియైనది కాదు

ప్రశ్న : కాని చాలా విషయాలు, ఉదాహరణకు సత్యమునే పలుకుట, ఇతరులను దయా భావంతో చూడడం, దొంగతనము మరియు వ్యభిచారము చేయకుండుట మొదలైన

सत्याग्रह की सफल समाप्ति

-इन्द्र विद्यावाचस्पति

जुलाई मास के मध्य में ही देश में यह चर्चा छिड़ गई थी कि निजाम सरकार आर्य समाज से सुलह करने के लिए कोई कदम उठाने वाली है। यह बात भी प्रसिद्ध हो गई थी कि देश के कई प्रमुख नेता, जिनमें महात्मा गाँधी और श्रीमती सरोजिनी नायडू के नाम भी लिए जाते थे, निज़ाम पर और सर अकबर हैदरी पर समझौता करने के लिए जोर डाल रहे हैं। नेताओं की प्रेरणा का सहारा लेकर निज़ाम सरकार ने अपनी स्थिति की निर्बता पर पर्दा डालते हुए १७ जुलाई को एक घोषणा प्रकाशित की। उस घोषणा के कुछ भाग निम्नांकित हैं :-

"निज़ाम सरकार मजहवी मामलों में ब्रिटिश सरकार की इस नीति को स्वीकार करती है कि शान्ति और नियन्त्रण की साधना के लिए यह आवश्यक है कि विना किसी भेदभाव के सबको धार्मिक विचार रखने और उनके अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वाधीनता हो। रियासत में इस सम्बन्ध में जो कानून प्रचलित हैं, उनका उद्देश्य धार्मिक अधिकारों के मूलभूत सिद्धान्त पर प्रतिबन्ध लगाना नहीं है प्रत्युत जनता में शांन्ति को सुरक्षित करना है। सरकार के सामने ऐसा एक भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया जा सकता, जिसमें भेदभाव की नीति के कारण किसी स्कूल की स्वीकृति रोक ली गई हो या अस्वीकृत स्कूल बनाने के कारण मामला चलाया गया हो।"

आगे चलकर इस घोषणा को बतलाया गया था कि निज़ाम सरकार ने जो सुधार-कमेटी स्थापित की थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि नागरिक स्वतन्त्रता उचित सीमा तक देनी चाहिए। विरोधी भावनाओं में सन्तुलन रखने और जनता की प्रगति को अविच्छिन्न रखने के लिए यह आवश्यक है कि बोलने और लिखने की स्वतन्त्रता पर कुछ नियन्त्रण लगाया जाए। यह नियन्त्रण दो प्रकार के होंगे-सामान्य अवस्था में उनका रूप दण्ड का होगा और असाधारण अवस्था में प्रतिबन्धात्मक होगा।

अन्त में यह घोषणा की गई थी कि उक्त सिफारिशों को स्वीकार करके निज़ाम सरकार ने तत्सम्बन्धी विद्यमान कानून को रद्द कर दिया है, भविष्य में जो कानून बनेगा, उसमें प्रत्येक राजनीतिक अथवा सार्वजनिक सभा के लिए पहले आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक न होगा। उनकी केवल अधिकारियों को सूचना दे देनी होगी। यदि स्थानीय अधिकारियों के मतानुसार उन्हें किसी सभा से राजद्रोह अथवा सामप्रदायकि विद्वेष द्वारा सार्वजनिक शान्ति के भंग होने की आशंका हो तो उन्हें उसी सभा पर प्रतिवन्ध लगा देने का अधिकार होगा। यदि स्थानीय अधिकारियों द्वारा किसी सवा पर लगाई गई रोक की सूचना समय पर न पहुंचे तो कोई भी सार्वजनिक सभा की जा सकती है। लगाए गए प्रतिवन्ध के विरुद्ध सभा के संयोजक को सरकार से अपील करने का अधिकार है। सभा की सूचना देने से सम्बन्ध रखने वाले नियम ऐसे होंगे जो सुगम हों और आसानी से पालन किए जा सकें। सरकार को आशा है कि दोनों सम्प्रदाय ऐसा यत्न करेंगे कि नए नियम का दुरुपयोग न किया जाए।

नए बनने वाले कानून का समुचित रूप से पालन हो इससे उत्पन्न होने वाले नए-नए प्रश्नों का सन्तोषजनक ढंग पर निपटारा हो सके, इस उद्देश्य से एक ऐसी कमेटी बनाने का विचार प्रकट किया गया था जिसमें दोनों सम्प्रदायों के ऐसे लोग हों, जो दोनों के विश्वास पात्र हों। दोनो सम्प्रदायों का उस कमेटी में समान प्रतिनिधित्व होगा।

इस घोषणा की आर्य समाज और सम्पूर्ण हिन्दू समाज पर वैसी प्रतिक्रिया हुई जैसी प्रतिक्रिया की आशा रियासत के अधिकारियों को थी। सामान्य रूप से यह समझा गया कि निज़ाम सरकार अपने तानाशाही रवैये को छोड़कर समझौता करने को तैयार हो गई है। यों घोषणा पत्र में बहुत सी स्पष्ट वातें थीं। शब्दों के जाल में अपनी पराजय को छिपाने का काफी प्रयत्न किया गया था। भविष्य के बारे में जो कुछ कहा गया था उसमें निकल भागने की काफी गुन्जाईश रखी गई थी। तो भी अभिप्राय स्पष्ट था कि हैदराबाद सरकार झुकने को तैयार है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सबा के प्रधान घनश्याम सिंह जी गुप्त ने अपने केन्द्रों को निम्न लिखित आदेश भेज दिए-

१) सत्याग्रहियों में जो जत्थे जहा हैं, वे वहीं ठहर जावें। न आगे बढ़ें और न विच्छिन्न हों।

२) जब तक दूसरा आदेश प्रकाशित न हो, तब तक तैयारी में कोई न्यूनता न आने पावे।

परिस्थिति पर बिचार करने के लिए सार्वदेशिक अन्तरंग सवा का अधिवेशन बुलाया गया। घोषणा पत्र के जो अंश सन्दिग्ध या असन्तोषजनक थे, उनके स्पष्टीकरण के लिए सभा के प्रधान की ओर से निज़ाम सरकार के प्रधान मन्त्री सर अकबर हैदरी को पास पत्र-तारादि भेजे गए। इससे पहले निज़ाम सरकार की नीति यह थी कि वह ऐसे व्यक्तियों को जो रियासत की प्रजा न हों, इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार करने का अधिकारी नहीं मानती, सब उसने अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया। सवा प्रधान के तार और पत्रों के उत्तर तुरन्त मिलने लगे।

२४ जुलाई १९३९ को सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा का विशेष अधिवेशन हुआ। सभा-प्रधान तथा सर हैदरी में जो पत्र-व्यवहार हुआ था, उसकी रोशनी में रियासत के घोषणा पत्र पर दो दिन तक गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया। अन्त में निम्न लिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ-

"इस सभा ने हैदराबाद रियासत के १७ जुलाई के वक्तव्य तथा उस सुधार-योजना को पढ़ा है, जो उनके १३४८ फसली के असाधारण गजट में प्रकाशित हुई है और जिसमें निज़ाम महोदय का १७-७-३९ का फर्मान भी शामिल है।"

"सभा, भाषण और लिखने की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध रखने वाले पैरा में, जिसका आर्य समाज से सीधा सम्बन्ध है,

यह उद्घोषित हुआ है कि अन्य कतिपय रियासतों के सदृश सभा-संस्थाओं के निर्माण पर प्रतिवन्ध डालने वाला कोई कानून इस रियासत में नहीं है.....इत्यादि-इत्यादि। (यहां कमेटी की सिफारिशें उद्धृत की गई हैं।)

"निज़ाम महोदय ने अपने फर्मान में सूचना दी है कि कौन्सिल की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। यह फर्मान लोगों की यह विश्वास दिलाने के लिए निकाला गया है कि रियासत के आर्य समाजी तथा अन्य प्रजा जनों को सभा करने, संस्था स्थापित करने-यथा आर्य समाज स्थापित करने तथा चलाने-का अवाधित अधिकार होगा। आर्य समाज तथा दूसरी संस्थाओं को सार्वजनिक उत्सव करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी। साथ ही इस सम्वन्ध में प्रतिवन्ध लगाने वाले सब नियम रद्द कर दिए जाएंगे।"

"यह होते हुए भी सन्देश प्रकट किए गए हैं कि क्या इस घोषणा के अनुसार वे नियम भी रद्द हो जावेंगे, जो राज्य में धार्मिक अनुष्ठानों पर पावन्दियां लगाते हैं। अतः धार्मिक अनुष्ठानों से सम्वन्धित वर्तमान नियमों से, जिनका स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है, इन सन्देहों की पुष्टि होती है- अतः इस सभा की सम्मति में स्थिति का स्पष्टीकरण आवश्यक है।"

"अतः यह सभा अपने माननीय प्रधान श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त से प्रार्थना करती है, जिन्हें पहले से ही पूर्ण अधिकार दिए गए हैं, कि वे स्थिति के स्पष्टीकरण के लिए तात्कालिक आर्यवाही करें और समय-समय पर स्थिति जैसी मांग करें, वैसा ही करें।"

"यह सभा सत्याग्रह समिति को आदेश देती है कि वर्तमान समय में जत्थे जहां पड़े हुए हैं, वहां ही ठहरे रहें और आज्ञाओं की प्रतीक्षा करें।"

इस प्रस्ताव के प्रकाशित होने पर सभा की आज्ञानुसार अहमदनगर, खंडवा, मनमाड, येवला, वासीम, चान्दा, बैजवाड़ा, झान्सी, दिल्ली, लाहौर, मुलतान, वरेली, कलकत्ता आदि केन्द्रों में ठहरे हुए सत्याग्रही सैनिकों के जत्थे जहां थे, वही रुक गए। सत्याग्रही वीरों में यह विचार आमतौर पर फैला हुआ था कि निज़ाम की घोषणा अधूरी है और अस्पष्ट है, इस कारण वे लोग सत्याग्रह को स्थगित करने के पक्ष में नहीं थे। तथापि उन्होंने जिस तत्परता से सभा की आज्ञा का पालन किया, वह उनके संयम और नियन्त्रण की भावना का प्रमाण था। उन्होंने सच्चे सैनिकों के कर्तव्य का पालन किया।

स्पष्टीकरण के लिए सर्वप्रथम सभा के कार्यकर्ता प्रधान लाला देशवन्धु गुप्त, एम.एल.ए. (पंजाव) हादरीवाद भेजे गए। उन्होंने पहले जेल में वन्द आर्य नेताओं से वातचीत की और फिर सर अकवर हैदरी से विचार-विनिमय किया। उस वातचीत का परिणाम यह हुआ कि निज़ाम की ओर से एक दूसरा वक्तव्य प्रकाशित किया गया। वक्तव्य यह था :-

"निज़ाम सरकार ने अपने १७-७-३९ के वक्तव्य में कुछ मामलों की वावत अपनी आप स्थिति स्पष्ट की थी, जिसके सम्वन्ध में भ्रम फैला हुआ था। इसके वाद १९ जुलाई को असाधारण गजन निकाला गया, जिसमें सुधार-योजना प्रकाशित की गई थी। इन वक्तव्यों के कुछ अंशों का कई जगहों से स्पष्टीकरण चाहा गया है। इसलिए सर्वसाधारण को सूचना के लिए यह स्पष्टीकरण प्रकाशित किया जाता है कि सभाओं और सोसाइटियों के निर्माण के सम्वन्ध में वक्तव्य में कहा गया है कि सुधार-योजना का यह अंश कि इसकी व्यवस्था के लिए कोई कानून नहीं है, समस्त सभाओं, सोसाइटियों और सम्प्रदायों पर भी लागू होता है, भले ही वे धार्मिक हों या किसी अन्य प्रकार की भी क्यों न हों।"

धार्मिक मामलों के सम्वन्ध में स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया था कि "वक्तव्य में मौलिक धार्मिक अधिकारों की पहले ही पुनर्घोषणा की जा चुकी है। इस वारे में बनाई जाने वाली सलाह समिति का सम्वन्ध, जैसा कि असाधारण गजट से जाना जा सकता है, उस रीति-नीति से होगा, जिसके अनुसार कानून और व्यवस्था के हित में धार्मिक अधिकारों से सम्वन्धित कोई कायदा-कानून वनाया तथा प्रचलित किया जाएगा। रिफार्म कमेटी की सिफारिशों पर सरकार ने कोई सुनिश्चित आर्डर नहीं दिया है। सलाहकार समिति की कार्यवाही गुप्त होनी चाहिए कि नहीं, यह वात इसके लिए वनाए जाने वाले नियमों के लिए छोड़ दी गई है। ऐसे खास मामले हो सकते हैं, जिनको गुप्त रखने की जरूरत होगी। साधारणतया सरकारी कार्यवाहियों में सलाहकार समिति की सिफारिशें भी सम्मिलित हुआ करेंगी। यह समिति कानून और व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए उन उपयों की योजना करेगी, जिनसे धार्मिक अधिकार सम्वन्धी किसी कानून और धार्मिक अधिकारों के उचित उपभोग में समय-समय पर परस्पर समन्वय होता रहे। यद्यपि कोई भी अधिकार कवी भी पूर्ण नहीं हो सकता, तो भी सरकार की नीति जैसा कि पिछले वक्तव्य में स्पष्ट किया जा चुका है, यह है कि सार्वजनिकि शान्ति की रक्षा करते हुए अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दी जाए और कायदे-कानून को ऐसा वनाया जाए, जिससे जनता को यथासम्भव अधिक से अधिक सुविधा हो।"

सार्वजनिक और धार्मिक सभाओं के सम्वन्ध में कहा गया था- "उनसे सम्वन्ध रखने वाले नियम अधिक उदार होंगे, यहां तक कि जो धार्मिक सभाएं या कृत्य निजी या सार्वजनिक मकानों के भीतर होंगे, उनके लिए अन्य सार्वजनिक जलसों की तरह सूचना देने की जरूरत न होगी। किसी मकान के साथ घिरी हुई जगह भी इस परिभाषा में आती है। यद्यपि व्यवहार में ऐसी कोई कठिनाई आने की सम्भावना नहीं है, फिर भी गांवों में इस प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। इसके लिए मुनासिव नियम वनाए जा सकेंगे।"

धार्मिक जलूसों के वारे में कहा गया था- "किसी जाति के धार्मिक जलूसों के सम्वन्ध में पहले अवसर पर ही आज्ञा लेने की जरूरत होगी और सवका हित इसी में है कि इस वारे में कोई निश्चित व्यवस्था हो, जिससे जलूसों के मार्ग आदि का निर्णय होकर भविष्य में वैसा ही किया जा सके। इस सम्वन्ध में जारी किए जाने वाले नियमों का उद्देश्य किसी जाति के जलूसों पर केवल इसलिए पावन्दी लगाना नहीं कि वे नए हैं।"

धर्म मन्दिरों या सार्वजनिक उपासना-गृहों के सम्वन्ध में लिखा गया था- "वर्तमान नियम प्रधानतः उन स्थिर मकानों के वारे में

थे, जो पूजा के लिए प्रयुक्त होते हैं। यह ठीक है कि जातियों के रिवाज भिन्न-भिन्न होते हैं। आर्य समाज का रिवाज इस बात में भिन्न है कि उसके धार्मिक कृत्य, हवन, यज्ञ और सम्मिलित प्रार्थना आदि किराए के मकानों में भी हो सकती हैं। इन मकानों की कोई स्थिर पवित्रता नहीं है। इनमें किसी भी समय साप्ताहिक सत्संग का होना बन्द हो सकता है। साथ ही ये मकान कालान्तर में सार्वजनिक उपासना मन्दिरों का रूप ले सकते हैं। इस प्रकार के मामलों को हल करने के लिए सरकार यथावसर उचित नियम बनाएगी और इन नियमों से सार्वजनिक शान्ति के हित में समाजों की जगह के प्रश्न हल हो जाएंगे। यह बात वर्तमान मन्दिरों पर भी लागू होती है। जब तक कोई जाति किन्हीं मकानों को अस्थायी रूप में धार्मिक सत्संगों के लिए प्रयुक्त करेगी तब तक इन सत्संगों व सभाओं पर धार्मिक सभाओं और अनुष्ठानों का कोई भी नियम लागू न होगा और इनके लिए आज्ञा लेने की जरूरत न होगी परन्तु जो इमारतें केवल उपासना के लिए नई बनी होंगी, खरीदी गई होंगी अथवा इस कार्य में प्रयुक्त की जाने लगेंगी, उन पर सार्वजनिक उपासना मन्दिरों पर लागू होने वाले साधारण नियम लागू होंगे। इन नियमों को सरल बनाने के लिए उन पर पहले ही विचार किया जा रहा है। इस विचार में देरी न हो, इसलिए छः सप्ताह की अवधि भी नियत कर दी गई है। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, इस सम्बन्ध में खास बात यह है कि समाज की जगह नियत करते हुए सार्वजनिक शान्ति का ध्यान ज़रूर रखना होगा। इस पर विचार किया जा रहा है कि होम सेक्रेटिरिएट से इस सम्बन्ध में किस प्रकार अपील की जाए।''

प्राइवेट स्कूलों के खोलने के सम्बन्ध में कहा गया था- ''प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए विविध क्षेत्रों से यह सुझाव मिला है कि 'आज्ञा' लेने के स्थान में 'सूचना' देने से महकमे की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। सरकार शीघ्र ही नियमों की आम जांच-पड़ताल करेगी। तब इस पर भी पूरा विचार किया जाएगा।''

बाहर के प्रचारकों के बारे में अपनाई जाने वाली नीति को इन शब्दों में स्पष्ट किया गया था- ''यह फिर दुहराया जाता है कि ऐसी आज्ञाएं केवल तब तक जारी रहेंगी, जब तक वातावरण साफ नहीं हो जाता। सरकार को पूर्ण विश्वास है कि यह सन्तोषजनक स्थिति निकट भविष्य में ही उत्पन्न हो जाएगी।''

निज़ाम का यह फर्मान उस समय पहुंचा जब सत्याग्रह के सम्बन्ध में विचार करने के लिए सार्वदेशिक अन्तरंग सभा का अधिवेशन नागपुर में हो रहा था। अधिवेशन के बीच में सभा-प्रधान श्री घनश्याम सिंह जी के हाथ में एसोसियेटेड प्रेस का वह तार पकड़ाया गया, जिसमें निज़ाम के फर्मान का समाचार था। थोड़ी देर में लाला देशबन्धु गुप्त ने भी सभा में पहुंच कर उस सारी बातचीत का विवरण सुनाया जो उनमें और रियासत के अधिकारियों में हुई थी। देर तक विचार होता रहा। कुछ सदस्यों को निज़ाम के घोषणा पत्र के शब्दों और उसके असली अभिप्राय के सम्बन्ध में शंकाएं थीं। जिन्हें लाला देशबन्धु गुप्त के दिए हुए विवरण ने शान्त कर दिया। अन्त में अन्तरंग सभा ने निम्न लिखित प्रस्ताव स्वीकार किया-

''निज़ाम सरकार की, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा उठाए गए मुद्दों का खुलासा करते हुए प्रकाशित की गई विज्ञप्ति और खास कर उस खुलासे में निहित समझौते की भावना को देखते और उन सम्माननीय मित्रों और शुभेच्छुकों को राय का सम्मान करते हुए, जिनकी राय और जिनके सहयोग को सभा बहुत मूल्यवान् समझती है, सत्याग्रह को जारी रखना उचित नहीं समझती और उसको बन्द करने की घोषणा करती है। सभा सत्याग्रह समिति को आदेश देती है कि वह विभिन्न स्थानों पर उपस्थित जत्थों को भंग कर दे।

''सभा की राय में उक्त खुलासे में निज़ाम सरकार द्वारा उन मांगों को जिनके लिए सत्याग्रह शुरू किया गया था, पूरा करने का ईमानदारी से प्रयत्न किया गया है। सभा ने निज़ाम के इरादे पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए और उन घोषणाओं की उदार व्याख्या के आधार पर सत्याग्रह को जारी न रखने का आदेश देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। निज़ाम सरकार को चुनौती देने का, उसका विरोध करने, अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलने के इरादे से आर्य सत्याग्रह शुरू नहीं किया गया था। आन्दोलन का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना था।''

''आर्य जनता के मूल्यवान् त्याग का सर्वोत्तम परिणाम हो, इसलिए सभा की राय में आर्यों और इतर हिन्दुओं के लिए विशेषकर उनके लिए, जो निज़ाम राज्य में रहते हैं, अब और अधिक आवश्यक है कि वे आत्म-संयम से काम लें और सच्ची धार्मिक भावना के साथ-साथ सत्य और अहिंसा का धार्मिक कठोरता के साथ पालन करें।''

''सत्याग्रह युद्ध के समय भारत के समाचार पत्रों द्वारा स्वेच्छापूर्वक जो सहायता दी गई है, उसको सभा कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करती है। सभा को पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी धार्मिक स्वतन्त्रता के पक्ष में उनका मूल्यवान् समर्थन सदा ही प्राप्त होता रहेगा।''

''सभा उन लोगों के प्रति भी अपना आभार प्रदर्शित करती है, जिन्होंने आन्दोलन की धन व अन्य प्रकार से सहायता की है। सभा भारत और विदेश के सब आर्यों की ओर से उन शहीदों के प्रति अपनी सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करती है, जिन्होंने वैदिक धर्म के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए हैं।''

''सभी सर्वाधिकारियों और अन्य सत्याग्रहियों को, जिन्होंने वैदिक धर्म के लिए सब प्रकार के कष्ट सहे और हैदराबाद की जेलों में कठोर जेल-जीवन बिताया, बधाई देती है। इस धर्म युद्ध को सफल बनाने के लिए आर्य समाजियों, हिन्दुओं, सिक्खों तथा अन्यों ने जो सहायता प्रदान की है, उन सब पर सभा पूर्ण सन्तोष प्रकट करती है। आन्दोलन का मूल्यवान् नेतृत्व और पथ-प्रदर्शन करने के लिए सेवा लोकनायक श्री बापू जी अणे के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती है।''

''यहां आए हुए आर्य प्रतिनिधिगण सत्याग्रह आन्दोलन को सफलतापूर्ण समाप्ति तक पहुंचाने के लिए श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त और लाला देशबन्धु जी गुप्त द्वारा की गई मूल्यवान् सेवाओं की सराहना करते हुए उनके प्रति भरी कृतज्ञता प्रकट करते हैं।''

बधाइयां और स्वागत

-इन्द्र विद्यावाचस्पति

सत्याग्रह की सफल समाप्ति पर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सवा को और आर्य समाज को चारो ओर से बधाई-सन्देश पहुंचने लगे। महात्मा गाँधी ने हरिजन में लिखा-

"आर्य सत्याग्रह का अन्त मीठा हुआ। इस युद्ध के सम्बन्ध में मैंने एक अक्षर भी नहीं लिखा। मुझे यह प्रश्न ऐसा नाजुक प्रतीत हुआ कि मैंने सार्वजनिक रीति से उसकी चर्चा करना ठीक नहीं समझा।..... परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इस सत्याग्रह के सम्बन्ध में मेरी कोई ममता ही न थी। आर्य समाज के नेताओं तथा हैदरावाद से थोड़ा बहुत सम्बन्ध रखने वाले मुसलमान मित्रों से मेरा बराबर विचार विनिमय होता रहा। इस सम्बन्ध में मौलाना अबुल कलाम आजाद के मशवरे पर चलता रहा हूं। आर्य समाज की मांगों के लिए मुझे महानुभूति थी। वे मांगें साधारण और जन्म सिद्ध अधिकारों से सम्बद्ध थीं। मैं अपने दृष्टिकोण से आर्य सत्याग्रह के पक्ष में नहीं था। अपने इस दृष्टिकोण के हेतु मैंने उन्हें बता दिए थे। परन्तु उनका सत्याग्रह मेरे सत्याग्रह की अपेक्षा अधिक अच्छा नहीं तो अधिक बुरा भी नहीं हुआ। इस प्रकार मैं निरुत्तर हो गया.....आर्य सत्याग्रह स्नेहभाव से स्थगित किया गया, इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा सन्तोष है। स्नेहभाव से ही इस समस्या के हल हो जाने पर मैं निज़ाम सरकार और आर्य समाज दोनों का अभिनन्दन करता हूं।"

पं. जवाहरलाल नेहरू ने निम्न लिखित शब्दों में अपना भाव प्रकट किया था-

"मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि हैदराबाद में आर्य सत्याग्रह की यह लम्बी और दुःखद दास्तान समाप्त हो गई है। इसमें आर्य समाज को अपनी धार्मिक मांगों की पूर्ति के लिए बहुत भारी त्याग और कष्ट झेलना पड़ा है। वे मांगें अपने आप इतनी स्पष्ट थीं कि इनके विरोध में कही गई किसी बात में भी सहज विश्वास नहीं किया जा सकता। ये मांगे धार्मिक स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखती हैं और वहां तक मेरे जैसे आदमी भी, जिन्हें धार्मिक मामलों में इतनी दिलचस्पी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के अपने धार्मिक विचारों के अनुसार जीवन व्यतीत करने की पूरी स्वाधीनता में विश्वास रखते हैं।.....बहुत से लोगों ने राजनीतिक कारणों को लेकर हैदरावाद सत्याग्रह का विरोध किया था। परन्तु हमने ठीक समझ कर ही कहा था कि धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा सत्याग्रह ठीक है। ऐसे दुःखद काण्ड के सन्तोषजनक हल पर आर्य समाज और हैदरावाद सरकार दोनों धन्यवाद के पात्र हैं।"

डॉ. राजनेद्रप्रसाद जी ने सभा प्रधान श्री घनश्याम सिंह गुप्त को लिखा था-

"हैदरावाद में आर्य समाज को धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए सत्याग्रह करना पड़ा, यही आश्चर्य की बात थी। परन्तु जिस खूबी और संयम के साथ आपने उस सत्याग्रह का सन्चालन किया, वह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है। लोगों को कष्ट हुए और कुछ लोगों की जेल में मृत्यु भी हुई, परन्तु त्याग के बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सत्याग्रह की सफलता तभी समझी जाती है जब दोनों पक्षों को बधाई का मौका मिले। आज मुझे दोनों पक्षों को बधाई देने में हिचकि चाहट नहीं है। आर्य समाज अपने त्याग, कार्यदक्षता एवं संयम के लिए और हैदरावाद राज्य उन मांगों की न्यायानुकूलता को मानकर स्वीकार करने के लिए बधाई के हकदार हो जाते हैं।"

सेठ जमनालाल बजाज ने सभा प्रधान को एक पत्र में लिखा था-

"जयपुर में बन्दी रहते हुए भी हैदरावाद की आर्य सत्याग्रह की खबरों को ध्यानपूर्वक पढ़ता रहा। मुझे तो ताज्जुब और हैरानी रहती थी कि आर्य समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी के लिए भी इतनी बड़ी कुर्बानी करनी पड़ी। इसकी मुझे खुशी है कि आखिर आर्य समाज की बातें स्वीकार हुईं। इस युद्ध को इतने त्याग, कुशलता और संयम के साथ चलाने के लिए आपको जरिए मैं आर्य समाज को हार्दिक बधाई देता हूं। यदि निज़ाम सरकार आर्य समाज की इन मांगों को पहले ही स्वीकार कर लेती तो बहुत अच्छा होता। इतनी कुर्बानी न होती और इसके कारण कहीं-कहीं जो हिन्दू मुसलमानों के बीच वैमनस्य पैदा हुआ वह भी न होता।"

लोकमान्य अणए आर्य सत्याग्रह के साथ प्रारम्भ से ही साथ थे। शोलापुर के जिस आर्य सम्मेलन में सत्याग्रह की घोषणा की गई थी, उसके अध्यक्ष आप ही थे। सत्याग्रह के दिनों में भी आप निरन्तर रियासत की गतिविधि पर नजर रखते रहे। आपने सत्याग्रह स्थगित होने पर जो वक्तव्य दिया था, उसके अन्त में आपने कहा था :-

"मैं अन्त में उन सब हिन्दू और सिखों को बधाई देता हूं, जिन्होंने धार्मिक अधिकारों के लिए इतने कष्ट झेले हैं और इस संघर्ष की इतनी शानदार सफलता और सम्मानपूर्ण समझौते में समाप्त करने का प्रयत्न किया गया है।"

सेठ जुगलकिशोर बिड़ला ने भी श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त के तार के उत्तर में निम्न लिखित आशय का तार दिया-

"तार मिला। धन्यवाद। हार्दिक बधाई। मुझे आशा है, आपके सारे मुद्दे प्राप्त हो गए और आप पूरी तरह सन्तुष्ट हे गए हैं। राजनीतिक अधिकारों की दृष्टि से काश्मीर के मुसलमानों की तुलना में हिन्दुओं को कुछ भी नहीं मिला है।"

भैनी साहब लुध्याना के सद्गुरु प्रताप सिंह जी महाराज ने सत्याग्रह की समाप्ति का समाचार सुनकर कहा था-

"आर्य समाज की यह ऐसी शानदार जीत है, जिस पर समस्त धार्मिक जगत् सदैव गर्व करता रहेगा।"

देश भर से सार्वदेशिक सभा के कार्यालय में पहुंचने वाले सैकड़ों वधाई-सन्देशों में से चुने हुए ये कुछ सन्देश हैं। इनके अतिरिक्त प्रायः सभी राष्ट्रीय और हिन्दू समाचार पत्रों ने सत्याग्रह की सफल समाप्ति पर सन्तोष प्रकट किया और आर्य समाज को वधाई दी। इसके साथ ही अधिकतर समाचार पत्रों ने आर्य समाज की मांगों को स्वीकार कर लेने के कारण निज़ाम सरकार को भी वधाई दी।

सत्याग्रह के स्थगित होने पर जेलों से आर्य वीरों की रिहाई आरम्भ हो गई। एक-एक करके सर्वाधिकारी भी छोड़े जाने लगे। उस हर्ष के साथ विजय के उन्माद में आकर आर्य जनता कोई भूल न कर वैठे इस सम्भावना से सभा के प्रधान श्री घनश्याम सिंह जी ने आर्य जनों के नाम एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया था- "हैदरावाद के सत्याग्रह अपने धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का सविनय विरोध था। आर्यों की मुसलमान से कोई लड़ाई नहीं है, वह ऐसा अधिकार नहीं चाहते जो अन्यों को प्राप्त न हो। अव सत्याग्रह समाप्त हो चुका है। आशा है कि निज़ाम रियासत में दोनों सम्प्रदायों में परस्पर मित्रतापूर्ण सम्वन्ध स्थापित हो जाएंगे। यह आनन्द का विषय है कि लगभग आठ मास के पश्चात् परमेश्वर के अनुग्रह से आर्य सत्याग्रह को वन्द करने का अवसर प्राप्त हुआ है। फिर भी यह किसी तरह के प्रदर्शन करने अथवा आनन्द मनाने का अवसर नहीं है। हमें तो इस समय अत्यन्त नम्रतापूर्वक भगवान् के अदृश्य चरणों में झुककर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि महर्षि दयानन्द सरस्वती जी के महान् कार्य को चलाने के योग्य बन सकें। इस कारण मैं समस्त आर्यों से कहना चाहता हूं कि वे प्रसन्नता मनाने के लिए कोई जलूस आदि न निकालें.....सत्याग्रहियों के लौटने पर स्थानीय आर्य समाजें उनका सम्मान करने के लिए सार्वजनिक सभाएं तो करें परन्तु जलूस न निकालें और भाषण भी कम से कम हों। भाषण में हैदारावाद के कष्टों के वर्णन का प्रसंग न आना चाहिए। भाषणों में आपत्तिजनक वातें विलकुल न कही जाएं। सच तो यह है कि यदि सम्भव हो तो भाषण सर्वथा वन्द कर देने चाहिएं।"

सभा प्रधान के इस आदर्श सन्देश का शब्दशः पालन तो कठिन ही था, क्योंकि भाषणों के विना तो सभा का होना सम्भव नहीं था और स्टेशन पर स्वागत करने के लिए जो भीड़ इकट्ठा होती थी वह अनायास ही जलूस का रूप ले लेती थी। तो भी इसमें सन्देह नहीं कि आर्य जनों ने प्रधान के आदेश के आशय का पूर्ण रूप से पालन किया। निज़ाम सरकार तथा मुसलमानों के विरुद्ध नारे लगाने या आपत्तिजनक वाषण देने के सम्वन्ध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। स्वागत सम्वन्धी समारोह में सभी स्थानों पर जो जोश दिखाया गया वह स्वाभाविक था।

८ आगस्त को नागपुर से सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा ने सत्याग्रह स्थगित करने का निश्चय किया था। अगले दिन वह निश्चय समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गया। हैदरावाद सरकार को उसकी विधिपूर्वक सूचना भी दे दी गई। स्वाभाविक तो यह था कि सत्याग्रह स्थगित हो जाने के आधार पर ही सव सत्याग्रही मुक्त किए जाते। परन्तु हैदरावाद की सरकार ने इसमें शायद अपनी कोई कानूनी हैठी समझी और १७ अगस्त को यह निमित्त वनाकर कैदियों को मुक्त किया कि वह हजूर निज़ाम का जन्म दिन है, इस प्रसन्नता में कैदी रिहा किए जाते हैं। सामान्य नियम यह है कि जव किसी कैदी को जेल से छोड़ा जाए तो उसे घर तक पहुंचने का किराया और खुराक का खर्च दिया जाए। निज़ाम के वारे में यह प्रसिद्ध था कि वह जितना अधिक धनी है, उतना ही अधिक कन्जूस भी है। निज़ाम सरकार ने भी अपने स्वामी की पद्धति का अनुसरण करते हुए मुक्त हुए आर्य वीरों को घर तक का किराया देने से इन्कार कर दिया। इस पर वहुत से आर्य वीर संकट में पड़ गए। सार्वदेशिक सभा की ओर से तत्काल सर अकवर हैदरी को तार दिया गया खऔर श्रीमती सरोजिनी नायडू से भी तार द्वारा प्रार्थना की गई कि निज़ाम सरकार को समझाएं। चारों ओर जोर पकड़ने पर रियासत की सरकार को झुकना पड़ा। आर्य वीरों को किराए दिए गए और वे घरों की ओर चल दिए।

यों तो देश के सभी प्रान्तों में प्रसन्नता प्रकट करने और स्वागत करने के लिए अनेक आयोजन हुए, परन्तु इनमें से शोलापुर, मनमाड़, हैदरावाद, मुम्वई तथा दिल्ली के स्वागत समारोह वहुत ही शानदार और महत्त्वपूर्ण हुए। जेल से छूटकर महात्मा नारायण स्वामी, कुंवर चान्दकरण शारदा, लाला खुशहालचन्द 'खुरसन्द' तथा अन्य सर्वाधिकारी ट्रेन से शोलापुर पहुंचे। ट्रेन को शोलापुर पहुंचने से पहले ही स्टेशन पर विशाल भीड़ एकत्रित थी। गाड़ी के पहुंचने पर हज़ारों जनकंठों ने 'वैदिक धर्म की जय', 'महर्षि दयानन्द जी की जय', 'आर्य समाज चिरन्जीवी हो' आदि जयघोषों से स्वागत किया। शोभा-यात्रा का शहर के मुख्य-मुख्य वाजारों में सजे हुए तोरणों और पुष्पमालाओं से अभिनन्दन किया गया। सायंकाल के समय सार्वजनिक सभा हुई जिसमें श्री नारायण स्वामी जी तथा अन्य अधिकारियों के भाषणों के पश्चात् उन सत्याग्रही शहीदों के लिए स्मृति रूप श्रद्धांजलि समर्पित की गई, जिन्होंने हैदरावाद के जेलों में प्राण समर्पित किए थे।

उसी दिन महाशय कृष्णा जी और पं. वुद्धदेव जी विद्यालंकार हैदरावाद से मनमाड पहुंचे। वहां उन दोनों नेताओं का भव्य स्वागत किया गया।

उसी दिन हैदरावाद की हिन्दू जनता वैरिस्टर विनायक राव जी विद्यालंकार तथा स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी का हार्दिक अभिनन्दन कर रही थी। सायंकाल को सवा हुई, उसमें २५ हजार की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया था। हैदरावाद के निवासी यह अनुभव कर रहे थे कि मानों उनकी छाती पर से कोई वहुत भारी पत्थर उठ गया हो। सभा में उपस्थित लोगों का उत्साह उस विशाल उत्साह का प्रतीक मात्र था, जो सारी रियासत

में अनुभव किया जा रहा था ।

१९ अगस्त सायंकाल को सब सर्वाधिकारी मिलकर मुम्बई पहुंचे । यहां भी स्टेशन पर बहुत उत्साहपूर्वक स्वागत हुआ । नगर के अनेक सम्भ्रान्त व्यक्ति पुष्प मालाओं के साथ उपस्थित थे । सायंकाल के समय चैपाटी के मैदान में विराट् सभा हुई, जिसमें श्री नारायण स्वामी जी ने तथा अन्य सर्वाधिकारियों ने सत्याग्रह की सफलता के लिए परमात्मा का धन्यवाद किया और आर्य जनता को वधाई दी ।

मुम्बई से यह दल २२ अगस्त को दिल्ली पहुंचा । नई दिल्ली और दिल्ली दोनों स्टेशनों पर हजारों की भीड़ ने स्वागत में भाग लिया । स्टेशन के बाहर बैण्ड बज रहा था । सर्वाधिकारी दो मोटरों में बैठकर नगर की ओर रवाना हुए तो उनके आगे और पीछे लगभग बीस हजार व्यक्तियों का समूह था । यद्यपि सभा प्रधान ने घोषणा पत्र द्वारा जलूसों पर प्रतिवन्ध लगा दिया था तो भी अनायास जलूस बन गया जिसमें सार्वदेशिक सभा के प्रधान तथा अन्य अधिकारियों को भी सम्मिलित होना पड़ा । जलूस हर्डिंग लायब्रेरी के पास से होता हुआ आजाद मैदान में पहुंचा, जहां विराट सभा की गई । प्रारम्भ में सभा प्रधान श्री घनश्याम सिंह जी ने नेताओं का अभिनन्दन करते हुए कहा- ''सम्माननीय स्वामी जी, अन्य सर्वाधिकारी गण तथा सत्याग्रही भाइयो, आप लोगों का अपने बीच में स्वागत करते हुए मैं उस आनन्द को शब्दों में पूरी तरह प्रकाशित नहीं कर सकता, जिसका मैं अनुभव कर रहा हूं । आपके दृष्टान्त उन सहस्रों आर्यों तथा हिन्दुओं को, जिन्होंने इस धर्म युद्ध में बलिदान किया और आपने आन्दोलन को उच्च वातावरण तक पहुंचाया, उत्साह मिला । हममें से जो जेल से वाहर रहे आपके बलिदानों के लिए यथोचित रूप से धन्यवाद देने के अधिकारी नहीं हैं । एक बड़ी वात, जो समस्त भारत के लिए लागू होती है, यह है इस पवित्र युद्ध में जिन साधनों का प्रयोग किया गया वे सत्य और पवित्र थे । इस दिशा में आपके दृष्टान्त ने अन्य सब सत्याग्रही भाइयों का मार्ग प्रदर्शन किया । राजनीतिक नेताओं में से वहुत से लोगों को यह विश्वास नहीं होता था कि हम सत्याग्रह के उच्च आदर्शों के अनुसार चल सकेंगे । परन्तु आपके नेतृत्व में हमारे सैनिकों ने अन्तिम क्षण तक सत्य और पवित्रता की जो उच्च भूमि बनाए रखी, उससे आर्य समाज का गौरव बहुत बढ़ गया है ।''

''अन्त में श्री गुप्त जी ने कहा- ''मैं वड़े चाव से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जव मैं आप लोगों के साथ जेल में सम्मिलित हो सकूं परन्तु भगवान की कृपा और ऋषि दयानन्द द्वारा प्राप्त उत्साह के कारण हम लोगों के प्रयत्न इतने थोड़े समय में ही सफल हो गए ।''

''श्री महात्मा नारायण स्वामी जी ने स्वागत का उत्तर देते हुए कहा- ''वे लोग जिन्होंने कभी सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया है, अच्छी तरह जानते हैं कि जेलों से वाहर रहकर सत्याग्रह आन्दोलन चलाने वाले लोगों को जेल में वन्द हो जाने वालों की अपेक्षा अधिक काम करना पड़ता है । हमारे सत्याग्रह में भी यही सत्य दीख रहा है । यदि जेल से वाहर रहकर भी अपने कर्तव्यों का पालन इतने उत्साह और लगन के साथ न किया होता तो हमारा सत्याग्रह इतनी जल्दी समाप्त न हो सकता । मुझे यह कहते अभिमान का अनुभव होता है कि उन सब भाइयों ने, जो प्रायः अनिच्छापूर्वक अपने निश्चय के विरुद्ध जेलों के वाहर रहे, अपने कर्तव्यों का अत्यन्त प्रशंसनीय रूप में पालन किया ।''

उसी दिन सायंकाल गाँधी मैदान में एक सार्वजनिक सभा हुई । उपस्थिति पचास हजार से कम न थी । सारे मैदान में मनुष्यों के सिर ही सिर दिखाई देते थे । श्री घनश्याम सिंह गुप्त सभापति निर्वाचित हुए । सार्वदेशिक सभा के मन्त्री प्रो.सुधाकर जी ने सार्वदेशिक सभा की ओर से सर्वाधिकारी महानुभावों की सेवा में भक्ति और प्रेम के भावों से पूर्ण निम्न लिखित अभिनन्दन पत्र पेश किया-

योग्य नेतृगण, अपने उद्देश्य में सफल होकर जेल से घर को लौटते समय, सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा तथा समस्त हिन्दू (आर्य) समाज की ओर से, इस सांस्कृतिक प्रथाओं से परिपूर्ण ऐतिहासिक नगरी में, 'जो श्री गुरु तेगवहादुर और श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी के पवित्र वलिदानों से पावन हो चुकी है, आपका हार्दिक अभिनन्दन करती है । कृतज्ञता और असीम आनन्द से परिपूर्ण हृदयों से हम आपको सत्याग्रह आन्दोलन के प्रारम्भ होने के पश्चात् इतनी जल्दी अपने अन्दर बैठा हुआ देख, श्रद्धापूर्वक आपके सामने अपने सिर झुकाते हैं । हमारी सफलता आपके तथा उन हजारों आर्य सत्याग्रहियों के, जो आपके नेतृत्व में जेलों में गए और उन वीर तथा निर्भय वीरों के, जिन्होंने हैदराबाद में शहीद बनकर अपने अमूल्य जीवनों का विसर्जन किया, महान् वलिदान का फल है ।

सम्माननीय सर्वाधिकारी गण,

आपके नेतृत्व में आर्य समाज ने इस सत्याग्रह में सत्य और अहिंसा की जिस अजेय शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसने हमारे धर्म युद्ध को विजय प्रदान की है । आपके नेतृत्व में हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में आर्य समाज को एक बार फिर जीवित शक्ति वना दिया है । आपकी तथा अन्य सत्याग्रहियों की इस कष्ट सिहष्णुता का इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा ।

पूज्य स्वामी जी,

इस वृद्धावस्था में आपका धर्म युद्ध के लिए प्रस्थान करना हमें उन अतीत दिवसों का स्मरण कराता है जव ऋषि लोग अपने जीवन शक्ति रक्त से वैदिक सभ्यता को सिन्चित किया करते थे । इस धार्मिक आन्दोलन में आपके नेतृत्व ने, आर्य सामाजिक क्षेत्रों में जागृति का नवीन संचार कर आश्चर्य उत्पन्न कर दिया है । वे व्यक्ति भी, जो हमारे आन्दोलन की प्रारम्भिक अवस्था में हमसे उदासीन थे, वाद में चौंक उठे । उन्होंने हमारे उद्देश्य की उचितता को अनुभव किया और इसे सफल वनाने में सहायता दी । इस सत्याग्रह आन्दोलन ने आर्य समाज के पहले से ही उद्दीप्त इतिहास में एक और नए देदीप्यमान अध्याय को

जोड़ दिया है ।

माननीय सर्वाधिकारीगण,

अन्य सत्याग्रहियों के साथ आपके महान् बलिदान ने आर्य समाज के संसार व्यापी कार्य को अत्यन्त प्रिय बना दिया है । इसने इसके यश को और भी प्रवृद्ध किया है और इसकी उपयोगिता को कई गुणा बढ़ाया है ।

आपकी सेवाओं को स्वीकार करते हुए, इस अवसर पर हम आपके प्रति अपने सौहार्द और सम्मान की यह क्षुद्र भेंट समर्पित करते हैं ।

दिल्ली-२२ अगस्त १९२९,

हम हैं आपके,

सार्वदेशिक सभा के सदस्य

अभिनन्दन पत्र के उत्तर में महात्मा नारायण स्वामी जी, महाशय कृष्ण, महाशय खुशहालचन्द 'खुरसन्द', कुंवर चान्दकरण शारदा, पं. धुरेन्द्र शास्त्री तथा पं. ज्ञानेन्द्र जी के भाषण हुए । सभी वक्ताओं ने आर्य वीरों के धर्म भाव और साहस की प्रशंसा की और आर्य जनों के उत्साहपूर्ण सहयोग का धन्यवाद किया ।

दूसरे दिन कम्पनी बाग के विशाल मैदान में एक बड़ा सहभोज किया गया, जिसमें लगभग तीन हजार व्यक्तियों ने भोजन किया । इस सहभोज के संयोजक पं.सत्यदेव विद्यालंकार और प्रबन्धक बाबा मिलखा सिंह जी थे । आयोजन बहुत सफल हुआ । सफलता के लिए आयोजन कर्ताओं को सब आर्य जनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दिए गए ।

दिल्ली से सर्वाधिकारियों का दल मेरठ में ठहरता हुआ लाहौर पहुंचा । दोनों ही स्थानों पर भव्य स्वागत और अभिनन्दन की योजना की गई थी । अपने अपने प्रान्तों और स्थानों पर तो प्रायः सभी लौटे हुए आर्य वीरों का उत्साहपूर्वक स्वागत हुआ ।

गुरुकुल कांगड़ी के सत्याग्रही ब्रह्मचारियों का जत्था मुम्बई और दिल्ली होता हुआ गुरुकुल कांगड़ी पहुंचा । यह जत्था बहुत बड़ी परीक्षा से निकला था । इस जत्थे के सत्याग्रहियों को रियासत के अधिकारियों ने कई टुकड़ों में बांटकर कठोर जेलों में बन्द कर दिया था । १८ वर्ष का ब्र. रामनाथ जेल के अत्याचारों के कारण अपने प्राण की बलि दे चुका था । इस जत्थे का मुम्बई, दिल्ली और गुरुकुल तीनों स्थानों पर हार्दिक अभिनन्दन किया गया । गुरुकुल विश्व विद्यालय वृन्दावन, महाविद्यालय ज्वालापुर, गुरुकुल भैंसवाल, गुरुकुल चित्तौड़गढ़, गुरुकुल विरालसी आदि गुरुकुलों और दयानन्द उपदेशक विद्यालय तथा ब्राह्म महाविद्यालय आदि आर्य संस्थाओं के ब्रह्मचारियों और छात्रों का स्वागत समारोह भी स्थान स्थान पर सम्पन्न हुआ । इस प्रकार आर्य जनता का साधुवाद लेते हुए आर्य सत्याग्रह के सेनापति तथा सैनिक आठ मास के संघर्ष के पश्चात् अपने अपने स्थानों पर पहुंच गए ।

आर्य सत्याग्रह का सिंहावलोकन

जब सार्वदेशिक सभा की ओर से सत्याग्रह के स्थगित करने की घोषणा की गई थी तब आर्य समाज के बहुत से उत्साही सदस्यों का यह विचार था कि सत्याग्रह को स्थगित करने का निश्चय जल्दी में, समय से पूर्व कर दिया गया है । उनके मन में यह आशंका थी कि शायद निज़ाम सरकार धोखा देकर आर्य समाज के उत्साह को मन्द करना चाहती है । जिन लोगों ने आर्य समाज के प्रतिनिधि के तौर पर सुलह की चर्चा में भाग लिया था वे अनुभव कर रहे थे कि निज़ाम सरकार सचमुच उस दलदल में से निकलना चाहती है, जिसमें उसने अदूरदर्शिता से अपने आपको फंसा लिया है । एक ओर से अंग्रेजी सरकार मामले को जल्दी समाप्त करने के लिए रियासत की सरकार को दबा रही थी, दूसरी ओर मौलाना आजाद और उनके से विचार रखने वाले राष्ट्रीय मुसलमान नेता सर अकबर हैदरी के पास इस आशय के सन्देश भेज रहे थे कि कोई न कोई सुलह का रास्ता निकालना चाहिए । क्योंकि वे अनुभव करते थे कि कांग्रेस के प्रायः सभी हिन्दू नेताओं की सहानुभूति आर्य सत्याग्रह के साथ थी । इधर रियासत के अधिकारी देख रहे थे कि आर्यों के सत्याग्रह को दबाने या कुचलने की जितनी चेष्टाएं की जाती हैं, वे सब उसे भड़काने और तीव्र करने का साधन बन जाती हैं । ये सब कारण थे जिनसे बाधित होकर अगस्त के प्रारम्भ में रियासत की ओर से फर्मान के रूप में सुलह की सफेद झंडी खड़ी हो गई थी । उसमें न तो सर अकबर हैदरी की तथाकथित उदार नीति का कोई हिस्सा था और न निज़ाम की कल्पित निष्पक्षपात नीति का । निज़ाम की सरकार परिस्थितियों से बाधित होकर सुलह के लिए तैयार हुई, किसी धार्मिक स्वाधीनता की ऊन्ची भावना से नहीं ।

उन दिनों हैदराबाद के आम मुसलमान निवासियों की मनोवृत्ति का अनुमान एक आर्य महिला के उस बयान से लगाया जा सकता है, जो उसने सत्याग्रह के दिनों में हैदराबाद से लौटकर दिया था । वह महिला अपने एक नवयुवक वयस्क को वरंगल जेल में देखने गई थी । उस महिला ने अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए बतलाया- "रियासत के प्रत्येक भाग में, सामान्य रूप से बाहर के हिन्दुओं को, विशेष रूप से खद्दर धारियों को, द्वेष और अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता था । मुसलमान स्त्री-पुरुष यह समझते हैं कि हैदराबाद वस्तुतः मुसलमानों का है, हिन्दू उसमें परदेशी बनकर आ गए हैं । एक बार रेल के जिस डिब्बे में वह सफर कर रही थीं उसमें कुछ मुसलमान औरतें भी सवार हो गईं । हिन्दू स्त्रियों को उस डिब्बे में देखकर वे कहने लगीं- "निज़ाम की सरकार की कमजोरी के कारण हिन्दुओं की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वे उन्हों डिब्बों में सफर करने लगे हैं, जिनमें हम लोगों को चढ़ना पड़ता है । ये हिन्दू हाथ में लोटा-डोरी लेकर और गाय की पूंछ पकड़कर हैदराबाद में आए थे और अब बराबरी का दावा करने लगे हैं । हम लोगों ने तलवार के जोर से उसे जता है और तलवार के जोर से ही इसे रखेंगे ।" उस मुसलमान महिला ने यह भी ऐलान किया कि "मैं हैदराबाद

जाकर अकबर हैदरी से जवाबतलब करूंगी।''

हैदराबाद के सर्वसाधरण मुसलमानों के दिमाग की उस समय जो हालत थी, वह इस दृष्टान्त से स्पष्ट हो जाती है। रियासत के मुसलमान निवासियों की ऐसी अशुद्ध और विषैली मनोवृत्ति के होते हुए भी रियासत की सरकार को सुलह की चर्चा छेड़नी पड़ी। इससे दो बातें सर्वथा असंदिग्ध रूप में प्रगट होती हैं। एक तो यह कि उसे बाहर के दबाव और अपनी निर्बलता के अनुभव ने झुकने के लिए बाधित किया था। इस सब बातों पर विचार करें तो हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं अनुभव होता कि उस समय आर्य सत्याग्रह को जो सफलता प्राप्त हुई वह पूर्ण और निष्कलंक थी और जिन आर्य महानुभावों ने निज़ाम सरकार से सुलह की बातचीत करके आर्य सत्याग्रह के स्थगित करने का परामर्श दिया उन्होंने बहुत बुद्धिमत्ता से काम किया। वे सचमुच आर्य समाज के धन्यवाद के पात्र हैं।

सत्याग्रह के सिद्धान्तों की दृष्टि से आर्य सत्याग्रह निर्दोष और बहुत ऊंचा था। इसके लिए सत्याग्रह शास्त्र के आचार्य महात्मा गाँधी जी का प्रमाण पत्र ही पर्याप्त है। आपने सत्याग्रह की समाप्ति पर लिखा था- ''वह सत्याग्रह यदि कांग्रेस के सत्याग्रह से अच्छा नहीं था तो बुरा भी नहीं था।'' हमें दोनों सत्याग्रह की तुलना करके ऊंच-नीच का निश्चय करना उचित नहीं प्रतीत होता। इतना ही कह देना पर्याप्त है कि आर्य सत्याग्रह के दिनों में न तो आर्य समाज की ओर से कोई हिंसात्मक कार्य हुआ और न ही बीच-बीच में सत्याग्रह को रोकना पड़ा। सत्याग्रह की अहिंसात्मक विशाल धारा तब तक अनवरत चलती गई, जब तक कि वह अपने लक्ष्य तक न पहुंच गई। इसका श्रेय आर्य जनता की शान्तिप्रियता और उसके नेताओं की सतर्कता को है जिन्होंने हर एक रोष-दायक घटना पर अपने को नियन्त्रण में रखने का सफल प्रयत्न किया।

विषयాలు అన్ని మతాలు అంగీకరిస్తాయి మరియు అన్నింటిలో వాటిని చూస్తాము కదా ?

జవాబు : మీరు వర్ణించిన ప్రకారము అందరు మతావలంబులు ఒకే విధంగా వీటిని అంగీకరించరు. కేవలము పైన మీరు చెప్పిన సద్గుణములే గాక ఇంకా ఎన్నో విధి-విధానాలు అదనంగా చేర్చవలసిన అవసరమున్నది. ఇవన్నియు కూడా వైదిక ధర్మములో ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఇతర మతముల కంటే విశేషమై యున్నది. అటువంటి సమయంలో వైదిక ధర్మమును విడిచి వేరే మతాన్ని స్వీకరించ వలసిన అవసరము కలుగదు. ఒక్క రూపాయిని విడిచి, రెండు అణాలు లేక నాలుగు అణాలు ఎవరు స్వీకరిస్తారు ? మా పక్షము ఏమనగా ఏ సత్యాలైతే ఇతర మతాల్లో కనిపిస్తాయో అవన్నియు వైదిక ధర్మములోని సత్యాలనే ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.

ప్రశ్న : అది ఎలాగ ?

జవాబు : మీరు "దయ" అనే విషయాన్నే తీసికొండి-జర్మనీ దేశపు విఖ్యాత తత్వవేత్త నానిట్షే (Nitsze) "దయ" అనే పదాన్ని పిరికి వారు మరియు బానిసల యొక్క భావాలుగా పేర్కొంటారు. వారైతే "ఊచకోత" (నిలువునా కోసి వేయడం) అనగా పూర్ణ నిర్దయత పక్షమును వహించిన వాడు అతడు cut, cut cut అని జపిస్తూ ఉండేవాడు. వ్యభిచారం విషయంలో వామ మార్గీయులు అన్న హద్దులనూ చెరిపి వేసారు. దానిని ధర్మానికి లక్షణంగా అభివర్ణించారు. ఇక "సత్యము" విషయానికి వస్తే వారి స్వార్థ సిద్ధికి ఉపయోగపడేటంత వరకే సత్యాన్ని గ్రహిస్తారు. సత్య విషయము వారి భావాలకు హాని కలిగించే దనిపిస్తే దానిని అంగీకరించరు.

ప్రశ్న : అయితే వైదిక ధర్మములో ఎలాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి ? ఎవైతే ఇతర మతాల కంటే వైదిక ధర్మాన్ని ఉత్తమమైనదిగా ఒప్పుకోవడానికి కారణాలుగా నిలుస్తాయి ?

జవాబు : వినండి-మొదటి మరియు ముఖ్య విశేషత ఎమిటంటే వైదిక ధర్మము సృష్టి యొక్క ఆది నుండి మన వ్యవహారంలో ఉంది. ఇతర అన్ని మతాలు (సంప్రదాయాలు) ఆధునికమైనవి. కొన్ని నాలుగు వేల సంవత్సరములు, మరికొన్ని రెండువేల సంవత్సరములు, వెయ్యిన్నర సంవత్సరములు ఇంకా అంతకంటే తక్కువ అయువు కలవై యున్నవి.

ప్రశ్న : నవీనమైనవి అయినందువల్ల ఈ మతముల యొక్క అసత్యత ఎట్లు సిద్ధిస్తుంది ? కేవలము ఈ రోజు ప్రాయబడినందు వల్ల అది అసత్య గ్రంథమవుతుందా ?

జవాబు : కారణము అది కాదు. ఇక్కడ సాధారణ పుస్తకముల చర్చ జరగడం లేదు. కాని వేటినైతే ఈశ్వరీయ గ్రంథములని నమ్ముచున్నారో వేటిపై భిన్న భిన్న మతాలు ఆధారపడి ఉన్నాయో ఆ గ్రంథముల గురించి చెప్పబడుచున్నది.

ప్రశ్న : వీటి నవీనత వల్ల మీకు కలిగే అభ్యంతరమేమి ?

జవాబు : చూడండి ఆధునిక మవడము వల్ల ఏదైతే ఈశ్వరీయ జ్ఞాము యొక్క అభిప్రాయమున్నదో ఆ ప్రయోజనమే నష్టమగుచున్నది. రెండు, రెండున్నర వేల సంవత్సరములకు పూర్వము ప్రపంచములో సభ్య పురుషులు లేకుండిరా ? వారిలో కూడా సదాచారులు, ఈశ్వర భక్తులు లేకుండిరా ? ఆధునిక గ్రంథములను ఈశ్వరీయములని చెప్పే వారు వారి గ్రంథములపై విశ్వాసముంచని వారు నరకములో వేయ బడుదురని చెప్పేదరు. అలా ఎందుకు కావాలి ? పరమాత్ముడు జ్ఞానమును తరువాత ఇచ్చినచో దాని కంటే ముందు జన్మించిన వార అపరాధము ఏమిటి ? మొదట వారిని అజ్ఞానము ఉంచుట తరువాత వారిని దండించుట ఎక్కడి న్యాయము ? దీని కొరకు ఈశ్వరీయ జ్ఞానము సృష్టి ఆరంభములో నుండుట తప్పనిసరి. అయియున్నది. వేదము కనీనము ఋగ్వేదము ప్రపంచములోని పుస్తకాలయములో అన్నిటికంటే ప్రాచీనమైనదని అందరూ ముఖ్యముగా ఐరోపా ఖండపు విద్వాంసులు కూడా అంగీకరిస్తారు. అందుకే వేదమే ఈశ్వరీయ వాణి కాగలుగుతుంది. అంతేగాక వైదిక ధర్మమే సనాతన ధర్మము కాగలుగు తుంది. ఇదే దీని యొక్క సర్వోపరి విశేషము.

ప్రశ్న : ఇంకా ఇతర విశేషములు ఏమి యున్నవి ?

జవాబు : ఏ ధర్మమైతే మనుష్య మాత్రుడు మరియు పూర్తి ప్రపంచము కొరకు సమాన రూపములో ఉపయోగపడుతుందో దానిలో దేశ, కాల మరియు ఏ మనుష్యుని యొక్క ప్రాధాన్యత ఉండ కూడదు-అన్య మతము లలో ఈ నిషిద్ధ కారణములు ఉన్నవి. ఇవి నవీనమైనందు వలన సమయము చేత బంధింప బడుచున్నవి. విశేష పురుషుని జీవిత చరిత్ర ఉండుట వలన వేరే ప్రదేశముల కంటే వారు పుట్టిన ప్రదేశముల ప్రాధాన్యత కనపడుతుంది. ఇంకా ఈశ్వరునితో పాటు ప్రవక్తల (పైగంబరులు)కు కూడా సమాన ప్రాధాన్య మివ్వబడుటతో ఈ మతములు చాలా వరకు మనుష్యులపై ఆధార పడి ఉంటాయి. వైదిక ధర్మములో ఏ స్థాన విశేషము, కాల విశేషము మరియు పురుష విశేషము యొక్క సహకారము తీసుకునే అవసరము లేదు.

हैदराबाद के आर्य शहीद

यों तो आर्य सत्याग्रह में भाग लेने वाले सभी सेनापतियों और सैनिकों ने अनुकरणीय बलिदान की भावना का परिचय दिया, परन्तु जिन वीरों ने अपना शरीर अर्पित कर दिया, उनका संक्षिप्त परिचय देना अत्यन्त आवश्यक है । धर्म पर आत्म बलिदान करना आर्य समाज की पुरानी प्रथा है । महर्षि दयानन्द से लेकर आज तक आर्य वीर आत्मसमर्पण करते आए हैं । कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया । हैदराबाद के आर्य सत्याग्रह में भी वही परम्परा जारी रही । यहां आत्म-बिलिदान करने वाले धर्म वीरों का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है :-

१) **पं. श्यामलाल जी**

पं. श्यामलाल जी का जन्म हैदराबाद राज्य के बीदर जिले के आलकी नामक गांव में हुआ था । आपके पिता पं. भोलानाथ जी कट्टर सनातनी और पौराणिक थे । पैतृक परम्परा के अनुसार श्यामलाल जी का विश्वास और श्रद्धा श्री मारुति और माणिक प्रभु के मन्दिरों में विशेष रूप से थी । पिता की मृत्यु के बाद श्री गोकुलप्रसाद तथा पं.वंशीलाल जी के प्रभाव में आकर आप शीघ्र ही आर्य समाजी बन गए । प्रसिद्ध आर्य नेता पं.वंशीलाल जी आपके बड़े भाई थे । न केवल हैदराबाद राज्य में अपितु मुम्बई तक में आप अपने धर्म-प्रेम और उत्साह के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे । हैदराबाद हाईकोर्ट के जज अशगर यार जंगबहादुर ने लिखा था कि इसे धार्मिक पागलपन है । १९३१ में हैदराबाद राज्य में प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई । आप तीन वर्ष बाद ही उसके मन्त्री चुने गए ।

कई बार सरकार की ओर से जाली अभियोग लगाकर पं. श्यामलाल जी को फंसाने की चेष्टा की गई थी । १९३८ में उदगीर में हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ । आप बचपन से ही निर्बल प्रवृत्ति के थे । आंख के ऑपरेशन तथा अन्य व्याधियों के कारण डॉक्टर ने आपको सिर्फ केला और दूध लेने की सलाह दी थी । जेल के अधिकारियों से अनेक बार प्रार्थना करने पर भी यह पथ्य उन्हें न दिया गया । परिणामतः आपको कई बार अनशन करना पड़ा । अन्त में जेल की यातनाओं के असह्य हो जाने के कारण १६ दिसम्बर १९३८ को आपका जेल में स्वर्गवास हो गया । शव बड़ी कठिनाई से शोलापुर लाया गया । उस समय शोलापुर के प्रसिद्ध डॉक्टर श्री नीलकण्ठ राव एल.एम.एस., के.एल.ओ. (बियाना) ने शव की परीक्षा करने के बाद लिखा था- "पेट सिकुड़ कर पीठ से जा लगा था । हाथ के नाखून काले पड़ गए थे । दाईं टांग के गिट्टे के पास आधा इंच घेरे का एक घाव पाया गया । दाईं टांग पर भी एक लम्बा घाव था । इन चिह्नों से यह संशय प्रकट किया गया कि उन्हें कोड़े मारे गए थे तथा अन्य प्रकार की यातनाएं दी गई थीं ।" इन्हीं दिनों शोलापुर में आर्य कांग्रेस की तैयारियों के बीच बड़ी शान से आपका दाह-संस्कार किया गया ।

२) **स्वामी सत्यानन्द जी**

स्वामी सत्यानन्द जी का जन्म संयुक्त प्रान्त में हुआ था । संन्यास लेने के बाद लगभग ३० वर्ष से वे दक्षिण में कार्य कर रहे थे । बंगलौर में अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी के नाम से आश्रम स्थापित कर आप वहीं रहते थे । अपने १८ वानप्रस्थी साथियों के साथ आपने गुलबर्गा में सत्याग्रह किया । वहां से उन्हें चन्चलगुडा भेज दिया गया । २७-४-३९ को आपका देहान्त हो गया । सरकार ने आपने वक्तव्य में स्वामी जी के बारे में लिखा था- "२३ अप्रैल को जब आप जेल में आए तो आपको तेज बुखार था । २६ अप्रैल को आपको उस्मानिया हस्पताल भेज दिया गया । जहां अगले दिन हार्ट फेल हो जाने से आपकी मृत्यु हो गई । सरकारी डॉक्टर ने शव की जांच के बाद प्रमाणित किया कि शरीर पर घाव का कोई चिह्न नहीं है ।" अगले दिन मन्त्री आर्य समाज के प्रतिनिधि को उनका शव सौंपा गया तथा उससे इस आशय की रसीद ले ली गई कि शव अच्छी अवस्था में पाया । सरकार से किसी प्रकार की शिकायत किए बिना ही शव का दाह-संस्कार कर दिया गया । डॉ.आंचोलिकर एम.वी.बी.एस. ने भी आपके शव की परीक्षा की । उन्होंने जो रिपोर्ट दी वह सरकारी रिपोर्ट के बिलकुल विरुद्ध थी । डॉ. आंचोलिकर ने बताया था कि स्वामी जी के बाएं कान के पीछे घाव और आसपास खून जमा हुआ था । उन्होंने आंख के पास और पीठ तथा भुजाओं पर कुछ काट के निशानों के चिह्न भी बताए थे । आर्य समाज सुलतान बाजार के मन्त्री पं. श्रीराम शर्मा ने अपने २९ अप्रैल के पत्र में लिखा था- "स्वामी जी ने हवन न करने देने पर २३ सत्याग्रहियों के साथ भूख हड़ताल की थी ।" इस बात का द्योतक एक और गुमनाम पत्र भी जेल से मिला था । जेल से शव को लाने वाले चन्द्रपाल के वक्तव्य के अनुसार भी स्वामी जी के कान वा आंख के पास घाव थे । पं. धर्मदत्त, श्री मोहनलाल वर्मा, श्री पुमानराव, श्री जिन्दाबाद तथा श्री मानिकचन्द के भी वक्तव्यों से चन्द्रपाल के वक्तव्य की पुष्टि होती है ।

३) **श्री परमानन्द जी**

परमानन्द जी हरिद्वार निवासी श्री गोकुलप्रसाद के सुपुत्र थे । आपकी अवस्था २० वर्ष की थी । २० सत्याग्रहियों के साथ लातूर में सत्याग्रह करके आप जेल चले गए । गुलबर्गा से उन्हें चंचलगुडा भेज दिया गया, जहां १ अप्रैल को आपका देहान्त हो गया । सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया था- "मैण्टल अस्पताल में साधारण अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई । उसकी देह पर घाव के कोई निशान न थे ।" परमानन्द जी की मानसिक दशा खराब होने की सूचना इससे पहले नहीं दी गई थी । अन्य साथियों ने भी सरकार के इस वक्तव्य का खण्डन होता है । डॉ. फड़के एम.वी.बी.एस. ने नाक के पास चोट होने और नाक से खून निकलने की बात कही थी । डॉ. फड़के के कथनानुसार परमानन्द जी की दाईं भुजा पर तीन इंच लम्बा एक तिरछा घाव था । दाईं कोहनी और छाती पर भी घाव थे । नाक और मुंह से परीक्षा के समय भी खून निकल रहा था । पं. धर्मदत्त जी और श्री चन्द्रपाल जी को जेल से शव प्राप्त करने के लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ी । उन्हें मि. हालिन्स तक के पास जाना पड़ा । डॉ. फड़के की सम्मति में शव का विस्तृत पोस्टमार्टम होना आवश्यक था ।

४) **श्री विष्णु भगवन्त तन्दुरकर**

विष्णु भगवन्त तन्दुरकर हैदराबाद राज्य के तन्दूर स्थान के निवासी थे। आपकी आयु ३० वर्ष की थी। गुलबर्गा में गिरफ्तार होने के बाद आपको हैदराबाद जेल में भेज दिया गया। १ मई को आपका स्वर्गवास हो गया। सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया था कि आपको उदर रोग से पीड़ित होने के कारण ३० अप्रैल को उस्मानिया हस्पताल भेज दिया गया था। वहां हार्ट फेल हो जाने से १ मई को आपकी मृत्यु हो गई। सरकार ने तन्दुरकर के सम्बन्ध में भी एक विज्ञप्ति निकाल कर अपने को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न किया था। किन्तु डॉ. आंचोलिकर तथा डॉ. फड़के की सम्मतियां इसके विपरीत थीं। श्री विनायकराव विद्यालंकार, श्री नरसिंहराव और हनुमन्त राव जी ने अजहर हुसैन (सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट) से शव की परीक्षा करने की प्रार्थना की। किन्तु इस प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन महानुभावों के वक्तव्यों के अनुसार तन्दुरकर के शव पर चोटों के अनेक निशान थे। श्री रामकृष्ण राव बी.ए., एलएल.बी. वकील हाईकोर्ट वक्तव्य से भी प्रमाणित होता है कि तन्दुरकर को जेल में यातनाएं दी गई थीं। उन्होंने कहा था- "मैंने सिर के वाम भाग में, कान के पास एक घाव देखा, जिसमें से अब भी रक्त बह रहा था। मैंने दो काले चिह्न बी देखे। एक बाई भुजा पर दूसरा दक्षिण स्कन्ध के पास। गर्दन के पीछे की चमड़ी बहुत लाल थी और नथनों से काले रंग का रक्त प्रवाहित हो रहा था।"

५) **श्री छोटेलाल जी**

राजगुरु जी के साथ सत्याग्रह करने वाले ५३१ सत्याग्रहियों में से आप एक थे। संयुक्त प्रान्त के अलालपुर स्थान के आप निवासी थे। आप अपने पिता के इकलौते बेटे थे। बीमार अवस्था में धूप में काम करने के कारण आपको लू लग गई तथा आप बेहोश हो गए। बेहोशी की अवस्था में एक छत के नीचे लिटाया गया, जहां उन्हें उल्टी और दस्त हुए। आधी रात तक दशा सुधरती न देख आपको हस्पताल भेज दिया गया। २ मई को वे बीमार पड़े थे तथा ३ मई को प्रातः देहान्त हो गया। २० सत्याग्रहियों को साथ में जाने की आज्ञा देकर जेल वालों ने स्वयं ही आपका दाह संस्कार कर दिया। शव का कोई फोटो भी न लेने दिया गया। कुछ दिन पश्चात् सरकार ने जो विज्ञप्ति निकाली उसमें वह इस बात से इन्कार न कर सकी कि 'छोटेलाल जी से बीमारी में और धूम में काम लिया गया।' जेल से मुक्त होने के बाद श्री राजगुरु जी छोटेलाल जी के गांव गए तथा उनकी माता को बधाई दी।

६) **श्री नानूमल जी**

श्री नानूमल जी मध्य प्रदेश के अमरावती शहर के निवासी थे। आपकी आयु ५२ वर्ष की थी। २६ मई को चन्चलगुड़ा जेल में बीमार पड़े। २९ मई को हस्पताल में निमोनिया से आपका देहान्त हुआ। आपकी मृत्यु और शव का किसी को पता तक न दिया गया। श्री हरिश्चन्द्र विद्यार्थी ने शव की प्राप्ति के लिए काफी भागदौड़ की। उन दिनों श्रीमती सरोजिनी नायडू हैदराबाद में ही थीं। उनके द्वारा भी यत्न यत्न किया गया। किन्तु सब असफल रहा। दिल्ली से सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से आए तर पर भी कुछ ध्यान न दिया गया। शव को इस प्रकार छिपाकर दाह के लिए ले जाया जाना पहली अजीब घटना थी। अन्त में उस स्था का पता लगा लिया गया, जहां शव का दाह किया गया था।

७) **श्री माधवराव जी**

माधवराव जी लातूर (हैदराबाद रिसासत) के निवासी थे। आपकी आयु ३० वर्ष की थी। तीव्र ज्वर और लू के कारण २१ मई को आप गुलबर्गा जेल में बीमार हो गए और २६ मई को देहान्त हो गया। कुछ सत्याग्रहियों के साथ जेलवालों ने आपका दाह-संस्कार कर दिया। सत्याग्रह समिति की ओर से मृत व्यक्ति के विषय में जांच करने के लिए नियुक्त प्रतिनिधि को दाह-संस्कार में सम्मिलित सत्याग्रहियों से भी मिलने की आज्ञा न दी गई। शव का फोटे भी न लेने दिया गया था। गुलबर्गा शहर की जनता ने स्मशान तक साथ जाने की अनुमति मांगी, किन्तु उसे अस्वीकृत कर दिया गया।

८) **श्री पाण्डुरंग जी**

आप उस्मानाबाद (हैदराबाद रियासत) के निवासी थे। आयु २२ वर्ष की थी। गुलबर्गा जेल में आपको इन्फ्लुन्जा हो गया। जेल हस्पताल में उपचार ठीक से न हुआ। परिणामतः २५ मई को आपकी अवस्था अत्यन्त नाजुक हो गई। अतः जेल के बाहर हस्पताल भेज दिया गया, जहां २७ मई को मृत्यु हो गई। लेकिन उन्हें शव न दिया गया और न ही फोटो लेने का अवसर प्रदान किया गया। शव को वापिस जेल भेजकर कुछ सत्याग्रहियों एवं एक पुलिस के दस्ते के साथ लेकर उसकी श्मशान भूमि में अन्त्येष्टि कर दी गई। श्री पाण्डुरंग का देहान्त होना सरकार ने ५ जुलाई को स्वीकार किया।

९) **श्री सुनहरासिंह जी**

सुनहरासिंह बुटाना (जिला रोहतक) के रहने वाले थे। आपके पिता का नाम श्री जगतराम था। आपका शरीर सुडौल एवं स्वास्थ्य उत्तम था। महाशय कृष्ण जी के साथ ५ जून को आपको गिरफ्तार किया गया था। जेल में जाकर आप अस्वस्थ हो गए। वगल में फोड़ा भी निकल गया था। उपचार में लापरवाही होने के कारण मर्ज बढ़ता गया। फोड़े एवं तेज बुखार के कारण उन्हें सन्निपात भी हो गया था। ८ जून प्रातः ७ बजे आपका देहावसान हो गया। सरकारी डाक्टर का बयान था कि मृत्यु से बीमारी से हुई थी, अतः स्वाभाविक थी। लेकिन सुनहरासिंह के साथ हस्पताल में जो सलूक किया जाता था, उसे स्पष्ट था कि उपचार में लापरवाही की गई थी। महाशय कृष्ण जी तथा अन्य साथियों को मृत्यु की सूचना भी कई घंटों बाद दी गई थी। खुशहालचन्द जी 'खुरसन्द' बाद में बाटान गए, वहां श्री सुनहरसिंह के पिता को बधाई देते हुए आपने उनके स्मारक रूप में गांव में आर्य मन्दिर की आधारशिला रखी।

१०) **महाशय फकीरचन्द जी**

आप शारधा गांव (जिला करनाल) तहसील कैथल के रहने वाले थे। आयु ३५ वर्ष की थी। आपने भी महाशय कृष्ण जी के साथ औरंगाबाद में सत्याग्रह किया था। उदर विकार होने के कारण जेल हस्पताल में भर्ती किए गए। इस पीड़ा के अपेण्डीसाइटीज का रूप धारण कर लेने पर आपको सिविल अस्पताल भेज दिया गया। ३० जून को ऑपरेशन हुआ। लेकिन आपरेशन के बाद समुचित देखभाल न होने के कारण १ जुलाई की सुबह ७ बजे आपका देहान्त हो गया।

११) **श्री मलखानसिंह जी**

आप रूड़की के निवासी थे। आयु ३५ वर्ष की थी। सहारनपुर जिले में इतने अधिक सत्याग्रहियों का जाना आपके ही परिश्रम का फल था। कांग्रेस के आन्दोलन में भी आप कई बार जेल हो आए थे। रुड़की के जत्थे के साथ पुसद में सत्याग्रह करने पर आपको चन्चलगुड़ा जेल भेज दिया गया। १ जुलाई को आपका देहावसान हुआ। आपकी बीमारी और मृत्यु के समाचार को अत्यन्त गुप्त रखा गया और जेल के श्मशान में ही आपका दाह-संस्कार कर दिया गया।

१२) **श्री स्वामी कल्याणानन्द जी**

स्वामी जी मुजफ्फरनगर के निवासी थे। उनकी आयु ७५ वर्ष की थी परन्तु उत्साह युवकों का सा था। ८ जुलाई को आपकी मृत्यु हुई। मृत्यु का कुछ भी कारण बताए बिना १० जुलाई को आपकी मृत्यु की सूचना दी गई थी।

१३) **श्री शान्तिप्रकाश जी**

श्री शान्तिप्रकाश जी की आयु केवल १८ वर्ष की थी। जिला गुरुदासपुर के कलानौर अकवरी में आपका जन्म हुआ था। पिता श्री रामरत्न जी शर्मा नई दिल्ली स्टेशन पर टिकिट कलेक्टर थे। शान्तिप्रकाश जी घर से चुपचाप भागकर मुम्बई में सत्याग्रही जत्थे में शामिल हो गए थे। ९ मई को गुन्जोटी में आपने सत्याग्रह किया। आपको उस्मानावाद जेल में रखा गया। बीमार हो जाने के कारण शान्तिप्रकाश जी को सिविल हस्पताल में भेज दिया गया। हस्पताल से जेल भेजे जाने पर पुरानी बीमारी ने उग्र रूप धारण कर लिया। बीमारी के असाध्य होने पर पुनः सिविल हस्पताल भेज दिया गया और इनके पिता को तार दिया गया। शान्तिप्रकाश जी पर क्षमा मांगने के लिए काफी जोर डाला गया परन्तु आपने अपने पिता के सामने भी वीर हकीकतराय का दृष्टान्त रखा और माफी मांगने पर इन्कार कर दिया। बालक का साहस देखकर पिता ने भी माफी मांगने पर आग्रह नहीं किया। २७ जुलाई को आपकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार शहर में फैलते ही वहां हड़ताल हो गई। सरकार ने शव देने से इन्कार कर दिया तथा अर्थी के साथ जाने की भी आज्ञा न दी गई। २७ जुलाई को कुछ सत्याग्रहियों के साथ लेकर शव का वैदिक विधि से दाह-संस्कार कर दिया गया।

१४) **श्री बदनसिंह जी**

बदनसिंह जी की आयु १८ वर्ष की थी। मुजफ्फरबाद (जिला सहारनपुर) में आपका जन्म हुआ था। राजगुरु जी के अनुरोध को टुकराकर ला. टीकासिंह जी ने अपने इकलौते पुत्र को अपनी सख्त बीमारी में भी सत्याग्रह में जाने से नहीं रोका। १७ जून को बदन सिंह जी ने बेजवाड़ा में सत्याग्रह किया। वारंगल की जेल में आन्त्र ज्वर से पीड़ित होने के कारण आपको जेल-हस्पताल में रखा गया, जहां २४ अगस्त को आपका देहान्त हो गया। डेढ़ मास बाद पिता की भी मृत्यु हो गई।

१५) **श्री ताराचन्द्र जी**

१९ वर्षीय युवक ताराचन्द्र जी का जन्म लुम्ब ग्राम (जिला मेरठ) में हुआ था। आपके पिता चौधरी केहरसिंह जी तथा अन्य घर वालों ने बड़े उत्साह के साथ आपको विदाई दी थी। २० अप्रैल को वे अपने जत्थे के साथ तुलजापुर पहुन्चे। इसी जत्थे पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था २१ अप्रैल को नलदुर्ग में रखकर इस जत्थे के सत्याग्रहियों को विभिन्न जेलों में भेज दिया गया था। ताराचन्द्र जी ८ अगस्त को जेल से मुक्त होकर चान्दा शिविर में पहुन्चे, जहां वह बीमार हो गए थे। नागपुर में डॉ.लक्ष्मण राव परान्जपे के उपचार तथा सिविल हस्पताल में भर्ती कराने पर भी बीमारी ठीक नहीं हुई। ३० अगस्त को आपके चाचा चौ.रामचन्द्र जी श्री नागपुर पहुन्च गए थे। २ सितम्बर प्रातः ५ बजे आपका देहान्त हो गया। दाह संस्कार आर्य समाज तथा हिन्दू महासभा ने मिलकर किया।

१६) **श्री अशरफीप्रसाद जी**

श्री फिरंगीशाह के पुत्र अशरफीप्रसाद जी नरकटियागन्ज (जिला चम्पारन) के निवासी थे। आयु २२ वर्ष की थी। २२ मार्च को वे गिरफ्तार हुए। भोजन अनुकूल न होने के कारण जेल में प्रायः बीमार रहते थे। क्षमा मांगने के लिए तैयार न देख सरकार ने इन्हें २३ अगस्त को मुक्त कर दिया। घर आकर भी आप बीमार ही रहे। अन्ततः २९ अगस्त को आपका देहान्त हो गया।

१७) **ब्रह्मचारी रामनाथ जी**

इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। गुरुकुल कांगड़ी के जिन ब्रह्मचारियों ने सत्याग्रह में भाग लिया था, उनमें सबसे पहले सत्याग्रह करने का सौभाग्य आप ही को प्राप्त हुआ था। ये जेल की नृशन्स कहानियां कई बार अपने साथियों को सुनाया करते थे। आपकी टांग और पीठ पर कई घाव बने हुए थे। जेल से रुग्ण होकर आए। बाहर आने पर बीमारी ने पीछा न छोड़ा। इसी बीमारी के कारण आपका देहावसान हुआ।

१८) **श्री सदाशिव राव पाठक**

श्री विश्वनाथ जी के इकलौते पुत्र सदाशिव जी का जन्म लड़वाल (शोलापुर) ग्राम में हुआ था। जेल में आपसे पत्थर ढोने का कठोर परिश्रम कराया गया। बीमारी की अवस्था में भी परिश्रम से अवकाश नहीं मिला। यही कठोर परिश्रम आपकी मृत्यु का कारण बना।

१९) **श्री गोविन्दराव**

श्री गोविन्दराव नलगीर (जिला बीदर) ग्राम के निवासी थे। हैदराबाद सेन्ट्रल जेल में रोगग्रस्त होने के कारण आपकी मृत्यु जिन रहस्यपूर्ण अवस्था में हुई, उसका भेद आज तक नहीं खुला।

२०) **श्री मातुराम जी**

श्री मातुराम जी मिलिन्दपुर (जिला हिसार) ग्राम के निवासी थे। आपकी आयु ४५ वर्ष की थी। औरंगाबाद जेल में बीमार होकर आप ज्वर से पीड़ित रहे। २७ जुलाई को बीमारी की हालत में ही आपको जेल से मुक्त कर दिया गया। पुलिस आपको मनमाड स्टेशन पर लाकर छोड़ गई। उसने शिविर में कोई सूचना भी न दी। आपकी सत्याग्रह शिविर में सूचना पहुंचने पर आपको स्टेशन से शिविर लाया गया, जहां एक दिन बाद ही २८ जुलाई को आपका देहान्त हो गया।

२१) **व्यंकट राव जी कधार**

आपने स्टेट कांग्रेस की ओर से सत्याग्रह किया था। जेल अधिकारियों की मारपीट के कारण निज़ामाबाद जेल में आपकी मृत्यु हुई।

२२) **महादेव जी**

आप निज़ाम प्रान्त के रहने वाले थे। गुलबर्गा में सत्याग्रह करके जेल गए। वहीं आपकी मृत्यु हो गई।

२३) **रतीराम जी**

रतीराम जी जिला रोहतक के ग्राम साम्पला के निवासी थे। आपको भी भीषण बीमारी में

जेल से छोड़ा गया तथा घर आने पर आपका स्वर्गवास हो गया।

२४) **श्री अरोड़ामल जी**

सरगोधा निवासी श्री अरोड़ामल जी को भी बीमारी की हालत में ही जेल से रिहा किया गया। घर आते हुए लाहौर में ही आपका देहान्त हो गया।

२५) **श्री पुरुषोत्तम ज्ञानी**

ज्ञानी जी बुरहानुपर के निवासी थे। आपको भी उसी प्रकार रुग्ण अवस्था में जेल से मुक्त किया गया था और घर आने पर आपका स्वर्गवास हो गया।

ये तो उन वीरों के नाम हैं जिन्होंने हैदराबाद में आर्य सत्याग्रह के प्रसंग में अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसी वीरों की संख्या तो हजारों तक पहुन्चती है, जिनके शारीरिक स्वास्थ्य और आर्थिक दशा पर रियासत के अत्याचारों और दुर्व्यवहारों का स्थायी असर हो गया। एक बात निश्चित है कि हैदराबाद सत्याग्रह में जिन आर्य वीरों ने भाग लिया, उनमें से अधिकांश ऐसे थे जो अपने तन, मन, धन की बलि दने के लिए सर्वथा उद्यत थे।

१) **वेदप्रकाश जी दासप्पा**

वेदप्रकाश जी के पिता का नाम शिव बासप्पा था। माता का नाम रेवती वाई था। मराठी की सातवीं कक्षा तक शिक्षण हुआ था। इनका जन्म **गूँजोटी** पायगा में हुआ। आरम्भ से ही धर्म कार्यों में रुचि होने के कारण आर्य समाजों के सत्संगों में आना-जाना आरम्भ कर दिया और धीरे-धीरे अपने आप महर्षि के भक्त बन गए और समाज के कार्य को उत्साहपूर्वक करने लग गए जिससे स्थानीय मुस्लिम गुण्डे उनसे द्वेष करने लगे। द्वेष के कारण कई बार उन पर घातक आक्रमण हुए, परन्तु वे धैर्य के साथ साहसपूर्वक अपने निश्चय में दृढ़ रहे। इसी प्रकार प्रचार करते-करते कुछ समय बीता ही था कि एक दिन लगभग १०० मुस्लिम गुण्डों ने उन्हें अकेले में घेर लिया और कहा कि मुसलमान बनो। उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा- "मुसलमान बनने की अपेक्षा मृत्यु को मैं अधिक श्रेष्ठ मानता हूं।" यह वाक्य मुसलमानों ने सुनते ही क्रोधित होकर क्रूरता तथा निर्दयता के साथ मार्गशीर्ष ४ सं. १९९४ विक्रमी को तलवारों से वध कर डाला। वधिकों पर अभियोग चलाया गया, परन्तु उन्हें मुक्त कर दिया गया।

२) **धर्मप्रकाश जी नागप्पा**

इनके पिता का नाम सायवप्पा जी था। आपका जन्म शाके १८३९ में **कल्याणी ग्राम** में हुआ जो किसी समय चालुक्य वंशजों की राजधानी थी। अब वह एक मुसलमान नवाब की जागीर है। यहां मुसलमानों का बहुत प्राबल्य होने के कारण हिन्दू जनता को अनेक कष्ट दिए जाते थे, जो धर्मप्रकाश जी को असह्य प्रतीत होते थे। उन्होंने कष्टों के निवारणार्थ हिन्दू नवयुवकों को संगठित करके उन्हें लाठी, तलवार आदि सिखाना आरम्भ किया। निर्बल हिन्दुओं को बलवान् बनाने का कार्य मुसलमानों को बुरा प्रतीत हुआ और स्थानीय खाकसार पार्टी उनके विनाश की चिन्ता में पड़ गई और अन्त में ज्येष्ठ अमावस्या शाके १८६० तदनुसार ता. २७ जून १९३८ ई. को रात्रि में आठ बजे, जब कि धर्मप्रकाश जी आर्य समाज के सत्संगों से घर लौट रहे थे, खाकसारों ने उन्हें गली में अकेले घेर कर बर्छों, भालों तथा तलवारों से प्रहार करके क्रूरता के साथ वध कर दिया। वधिकों पर अभियोग चलाया गया, परन्तु अदालत ने उन्हें निर्दोष कह मुक्त कर दिया।

३) **महादेव जी अकुलगा**

आप अपने प्रान्त में आर्य समाज का प्रचार बड़ी लगन से कर रहे थे। प्रचार में अकुलगा मुख्य प्रचार-क्षेत्र था। इनके प्रचार से मुसलमानों को जो हिन्दुओं से अनुचित लाभ प्राप्त हो रहा था, वह प्रायः बन्द होने लगा था। इस कारण जब कि महादेव जी प्रचारार्थ कहीं जा रहे थे, मिहर अली नामक व्यक्ति ने ता. १४ जुलाई, १९३८ ई. को पीछे से आकर छुरा भोंक कर इनका अन्त कर दिया। इस प्रकार धर्म पर महादेव जी का बलिदान हुआ।

४) **रामकृष्ण जी**

नावसी ग्राम में अछूत कहे जाने वाले परिवार में इनका जन्म हुआ। मृत्यु से लगभग दो सप्ताह पूर्व यज्ञोपवित धारण करके समाज में प्रविष्ट हुए थे। एक दिन पठानों ने ग्राम में घोषणा की कि हम मन्दिर तोड़ते हैं, जो सूरमा हो वह बाहर आकर मन्दिर को बचा ले। सब हिन्दू भयभीत होकर घर में बैठे रहे। रामकृष्ण का खून खौला और हिन्दू मन्दिर के रक्षण के लिए कूद कर बाहर निकल आया। निहत्था था। गोलियों के कई वार हुए, परन्तु जख्मी होते हुए भी पठानों को भगा दिया और मन्दिर को बचा लिया। उस्मानाबाद के हस्पताल में जाने के पश्चात् ३-४ दिन में मृत्यु हो गई।

५) **भीमराव जी**

श्री भीमराव जी पटेल के घर पर मुसलमानों ने आक्रमण किया, क्योंकि उन्होंने अपने मित्र मणिकराव जी की भगिनी को शुद्ध कर लिया था। इस कारण मुसलमानों ने उनके घर को आग लगा दी और भीमराव जी को गोली मार दी और हाथ-पांव काट कर अग्नि में जला दिया।

६) **माणिक राव जी**

इस वीर ने अपनी भगिनी को मुसलमान बन जाने पर शुद्ध कर लिया। इसलिए इनको भी गोली का निशाना बनाया।

७) **सत्यनारयण जी**

यह वीर आर्य समाज के कार्यों में भाग लिया करता था, जिसके कारण स्थानीय मुसलमान चिढ़ने लगे। मुहर्रम के अवसर पर जब वे बाजार जा रहे थे, तो रास्ते में एक मुसलमान ने तलवार से वार करके घायल कर दिया। घायल दशा में हस्पताल में भेजा गया, जहां उनका देहान्त हो गया।

८) **अर्जुनसिंह जी**

आप सिख सम्प्रदाय के थे। ताल्लुका कन्नड़, जिला औरंगाबाद के निवासी थे। हैदराबाद के दयानन्द मुक्ति दल के वे दलपति थे। आषाढ़ शुक्ल ११, शाके १८६१ को जबकि वह जंगली विठोबा की यात्रा का प्रबन्ध करके घर लौट रहे थे, मार्ग में सशस्त्र मुसलमानों ने आक्रमण करके घायल कर दिया। उसी समय उन्हें दवाखाना भेजा गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई।

९) **राधाकृष्ण जी**

आप निज़ामाबाद के निवासी थे। आपका जन्म राजस्थानी मारवाड़ी कुल में हैदराबाद नगर के ईसामियां बाजार मुहल्ले में पौष शु. ३ सं. १९५३ में हुआ। आपके पिता का नाम ज्योतिमल जी था। आप वैष्णव समप्रदाय के मानने वाले थे। आप सन् १९३४ ई. में आर्य समाजी बने और उसी समय से आर्य समाज

- शेष पृ. १९ पर

वेद और वैदिक काल

वेद क्या हैं और कब हुए तथा वैदिक काल के लोग कैसे, इस विषय पर अपने कुछ विचार पाठकों के सम्मुख रखने के लिए यह पुस्तक लिख रहा हूँ।

इस विषय पर लिखने का विचार इस कारण हुआ कि कुछ पाश्चात्य विचारक, जो स्वयं को वेद के विद्वान मानते हैं और वैसा ही प्रख्यात करते हैं, वे कुछ ऐसी बातें लिख रहे हैं जो हमें सत्य दिखाई नहीं दे रही।

इस युग में भारत में वेद तथा वैदिक काल के विषय में रुचि उत्पन्न करने का भगीरथ प्रयास महर्षि स्वामी दयानन्द ने किया है। उन्होंने भी वेद काल के विषय में कुछ ऐसा लिख दिया है, जिसका प्रमाण मिल नहीं रहा।

भारती साहित्य तथा इतिहास के ठेकेदार भी प्रायः यूरोपियन कहे जाने वाले वेद के विद्वानों का अनुकरण कर रहे प्रतीत होते हैं।

वैसे वे भारतीय विद्वान् जो यूरोपियन इण्डोलोजिस्टों के कठोर आलोचक हैं, वे भी वेद का जो तिथि-काल उपस्थित करते हैं, वही भी हमें ठीक प्रतीत नहीं हुआ।

मध्यकालीन भारतीय विद्वान्, हमारा अभिप्राय है सायण, महिधर आदि भाष्यकार भी तिथि काल के विषय में या तो मौन हैं अथवा कुछ ऐसे विचार प्रकट कर गए हैं जो प्रमाणों से सिद्ध नहीं होते।

इस कारण हमने इस विषय पर अपने कुछ विचार उपस्थित करने का साहस किया है। अपने विचारों के पीछे युक्ति और प्रमाण भी देने का यत्न किया है। इस पर भी हम दावा नहीं कर सकते कि जो कुछ हमने कहा है वह ध्रुव सत्य ही होगा। विषय इतना गम्भीर और दुरूह है कि हम अन्तिम सत्य तक पहुँच गए हैं, कह नहीं सकते। अपने सीमित साधनों और ज्ञान से जो कुछ और जितना कुछ समझ सके हैं, वह लिख रहे हैं।

महर्षि स्वामी दयानन्द जी ने लिखा है कि ऋक् नाम है स्तुति का। स्तुति का अभिप्राय है किसी के गुण, कर्म और स्वभाव का वर्णन। अतः ऋचाएँ, पृथिवी से लेकर परमात्मा तक के सब पदार्थों के गुण, कर्म और स्वभाव का वर्णन करती है। सरल भाषा में यह कहा जा सकता है कि वेद ज्ञान और विज्ञान के ग्रन्थ है।

ज्ञान से अभिप्राय है अनादि मूल तत्त्वों का वर्णन और उनका परस्पर सम्बन्ध। और विज्ञान है इस कार्य जगत् के विभिन्न पदार्थों का वर्णन। ये दोनों ही बातें वेद में है। ऐसा महर्षि स्वामी दयानन्द जी मानते थे और ऐसा ही हम भी मानते हैं।

परन्तु स्वामी जी ने वेद उत्पत्ति के विषय में ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका में लिखा है-

'वेदोत्पत्ति विषयः'

वेद उत्पन्न नहीं हुं। जैसे जीवात्मा, परमात्मा तथा मूल प्रकृति उत्पन्न नहीं हुए वैसे ही 'वेदोत्पत्ति विषय' पद कानों को खटकता है।

स्वामी जी ने स्वयं भी जिस वेद-मन्त्र का उल्लेख किया है, वही शब्द 'जज्ञिरे' अथवा 'अपातलक्षन्' है। इनका अर्थ 'उत्पन्नोऽस्ति' नहीं अथवा 'प्रादुर्भू-तोऽस्ति' नहीं। यहाँ इन शब्दों का अर्थ वेद-ज्ञान से नहीं वरन् वेद के वर्तमान कलेवर, भाषा और स्वरूप से हो सकता है। वेद-विद्या (त्रयी विद्या) की उत्पत्ति नहीं हुई। अतः इन शब्दों का निर्वचन आविर्भाव ही है। वेद को अपौरुषेय कहा है।

परन्तु यह एक सामान्य बात है। कभी-कभी बड़े-बड़े विद्वान् भी सामान्य लोगों को समझाने के सामान्य भाषा के शब्द प्रयोग करने लगते हैं।

परन्तु वेद के इस पृथिवी पर आविर्भाव के काल के विषय में हमारा कहना है कि वह पृथिवी बनने तथा मनुष्य की उत्पत्ति के पूर्व नहीं हो सकता।

अतः वेदों के आविर्भाव के काल का वर्णन करते हुए यह आवश्यक है कि इस पृथिवी के बनने के काल और उस पर मनुष्य की उत्पत्ति के काल का भी उल्लेख हो। महर्षि दयानन्द लिखते है-

वेदानामुत्पत्तौ कियन्ति वर्षाणि व्यतीतानि। अत्रोच्यते-एकोवृन्दः षण्णवतिः कोटयोऽष्टौलक्षाणि द्विपञ्चाशसत्सहस्राणि, नवशतानि, षट्सप्ततिश्चैतावन्ति (१,९६, ०८५२,९७६) **वर्षाणि व्यतीतानि। सप्तसप्त तितमोऽयं संवत्सरोदर्त्ततइति वेदितव्यम्। एतावन्त्येव वर्षाणि वर्तमानकल्पसृष्टेश्चेति।**

(ऋग्वेद भाष्यभूमिका-अजमेर मुद्रित सं. २००४ वि. पृ.२३)

अर्थात् वेद की उत्पत्ति को कितने वर्ष हो गए ?

यह कहा है-एक अरब, छयानवे करोड़, आठ लाख, बावन हजार, नौ सौ छिहत्तर (१,९६,०८,५२,९७६) वर्ष वेदों की और जगत् की उत्पत्ति को हो गए है। और यह सम्वत् का ७७ वाँ वर्ष है।

७७वें वर्ष से सन् १८७७ ई. का अभिप्राय प्रतीत होता है। उसी वर्ष स्वामी जी ने वेद भाष्य करना आरम्भ किया था।

जहाँ सृष्टि-रचना काल की गणना की गई है (मनुस्मृति में भी और सूर्य सिद्धान्त में भी) वहां कहा है कि सृष्टि-रचना को १,९७,२९,४२,९७६ वर्ष व्यतीत हो चुके है।

इस अन्तर को श्री युधिष्ठिर मीमांसक एक भूल के कारण मानते हैं। भूल मन्वन्तरों के आदि और अन्त में संध्या और संध्यांशों की गणना को न लेने के कारण है।

हम समझते है कि सृष्टि-रचना काल की गणना दो प्रकार से की जाती है। एक मन्वन्तरों के हिसाब से और दूसरी चतुर्युगियों के बराबर माना है। परन्तु वास्तव में एक मन्वन्तर है ७११४ चतुर्युगियों के बराबर। बस यह दशमलव एक चार की गणना न करने से लाखों वर्षों की गणना का अन्तर पड़ गया है।

परन्तु हमारी आपत्ति इस गणना में भूल पर नहीं है। हमारा प्रश्न है कि क्या वेदों का आविर्भाव सृष्टि-रचना आरम्भ होते ही हुआ था ?

सृष्टि-रचना आरम्भ हुई जब (सांख्य दर्शनानुसार और ऋग्वेद १-१६३-१ के

अनुसार) हुआ। क्या उसी सयम वेदों का आविर्भाव हुआ ? परन्तु वेद (ऋग्वेद १०-१३०-२,३,४) से ऐसा प्रकट नहीं होता।

इन प्रमाणों से हमारा मत है कि सृष्टि रचना आरम्भ होने के कम से कम एक सम्वत्सर उपरान्त छन्दोच्चारण आरम्भ हुआ और उसके बहुत पीछे जब पृथिवी ठण्डी होकर, उस पर वनस्पतियाँ, पशु इत्यादि बन चुके थे, तब मनुष्य उत्पन्न हुए और उस समय उच्चारित छन्दों को ऋषियों ने सुना और मनुष्यों की भाषा में उनको बताया।

अतएव इन प्रमाणों से हमारा यह मत है कि वेद उच्चारण तो छन्दों के रूप में तब आरम्भ हुआ, जब ब्रह्माण्ड फटा (मनु.१-१३) और सूर्य, पृथिवी इत्यादि बन गए। परन्तु वर्तमान भाषा में उनका स्वरूप ऋषियों ने मनुष्यों को ज्ञान देते समय दिया।

यह तब हुआ जब पृथिवी पर मनुष्य उत्पन्न हुआ। सृष्टि बनते ही वेदों का आविर्भाव नहीं हुआ, वरन् तब हुआ जब पृथिवी पर मनुष्य उत्पन्न हुआ।

इसी प्रकार सायण इत्यादि वेद-भाष्यकार इस विषय में जो कुछ कह गए हैं, वह भी प्रमाण सिद्ध नहीं है।

पाश्चात्य विद्वान् और उनका अनुकरण करने वाले भारतीय इतिहासज्ञ तो अनुल्लेखनीय हैं। उनके कथन का न कोई प्रमाण है न उसमें युक्ति है। वे वेदों के ज्ञाता भी नहीं। वेद भाषा से सर्वथा अनभिज्ञ वेदों पर लिखने की अनाधिकार चेष्टा कर गए हैं।

भारत में एक संस्थान है भारतीय विद्या भवन। इस संस्थान ने एक पुस्तक 'वैदिक एज' के नाम से प्रकाशित की है। इस पुस्तक का लेखक कहता है कि वेद ईसा से एक-दो हज़ार वर्ष पहले कहे गए हैं। यह मैक्समूल्लर का कथन है और मैक्समूल्लर, वेदों का कितना विद्वान था, उसका एक उदाहरण इस प्रकार है-

मिस्टर क्लेटन ने अपनी पुस्तक 'The Rigveda and Vedic Religion' में मैक्समूल्लर के वेदों के विषय में विचार लिखे है। यह लिखते हैं- Prof. Maxmuller did not hesitate to say, 'it must not be forgotten, that though the historical interest of the Veda can hardly be exaggerated, large number of the Vedic hymns are 'childish in the extreme,' tedious and common place. Many of them convey no clear meaning, or are full of vain repetitions. It is not the rule but the exception to find in this great collection of literature any cry of the soul, any glimpse of a spiritual instinct, any grasp of a high revelation.'

'The Rigveda and Vedic Religion'
By Clayton page-156.

(उद्धृत पं. धर्मदेव मार्तण्ड द्वारा, वेदों का यथार्थ स्वरूप में, पृ.२६)

इसका अर्थ है-प्रो.मैक्समुल्लर कहने में हिचकिचाए नहीं कि इस बात को न भूलना चाहिए कि यद्यपि वेदों का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है तथापि वैदिक सूक्तों की अत्यधिक संख्या अत्यन्त बचकाना, दुरूह और गँवारपन की है। उनमें कोई स्पष्ट अर्थ प्रतीत नहीं होता और वह पुनरुक्ति से भरी हैं। कहीं अपवाद ये रूप में, नियम से नहीं, इस साहित्य के महान् संग्रह में कहीं-कहीं ही आत्मा की पुकार दिखाई देती है या आत्मा की भावना की झलक है।

इस 'महापण्डित' और इसके औक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के चेले-चाँटों के लेखों के आधार पर 'वैदिक यज्ञ' पुस्तक लिखी गई है।

भारतवर्ष का एक रोग है। वह यह कि राजनीतिक प्रभुता प्राप्त को विद्वान् और ईश्वर भक्त माना जाता है। एक बार हिन्दुओं के एक भक्तजन ब्रह्मचारी प्रभुदत्त ने पण्डित जवाहरलाल को भी ईश्वर भक्त लिखकर प्रमाणपत्र दे दिया था। उस कोटि के वे लोग है जो विद्या भवन को लाखों रुपए दान देकर इसकी महिमा को बढ़ा गए है।

'वैदिक यज्ञ' के लेखकों को चुनौती दी गई तो ये कहे जाने वाले विद्वान्, राजनीति में रत देश के अबुद्ध नेताओं से प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए साहस नहीं कर सकते कि वेद के विद्वानों का सामना करें।

इन यूरोपीय एवं इनके आश्रय बने हिन्दुस्तानी विद्वानों में दोष का आंशिक कारण मध्यकालीन वेदों के भाष्यकार भी हैं। उन्होंने भी वेदों के विषय में अपनी लेखनी उठाने से पहले उस प्रारम्भिक ज्ञान को प्राप्त करने का कष्ट नहीं किया, जो आवश्यक है।

जैसे एक एम.ए. के विद्यार्थी के लिए बी.ए. तक की शिक्षा प्राप्त करनी आवश्य है, वैसे ही वेदों को समझने के लिए इसके उपांगों का ज्ञान होना आवश्यक था।

वह ज्ञान सायणादि को उपलब्ध नहीं था। इस कारण वे वेदार्थ ठीक प्रकार से कर नहीं सके। आंशिक रूप में सायण तथा महिधर के भाष्यों के आधार पर और आंशिक रूप में अपने पूर्वग्रहों से ग्रसित यूरोपीय विद्वान् ठीक वेदार्थ तक पहुँच नहीं सके।

यूरोप, विशेष रूप में इंग्लैण्ड, फ्रान्स और जर्मनी में ईसा पूर्व का काल अन्धकार का काल था। इस कारण वहां के पक्षपाती लोग विचार ही नहीं कर सकते थे कि भूमण्डल में कोई सभ्यता उनसे श्रेष्ठ कभी, विशेष रूप में ईसा से पहले, हो भी सकती है। उनके लिए ईसा से पूर्व मनुष्य पशु, समान था। जब इनके समक्ष भारत का इतिहास उपस्थित किया जाता है तो उसे असत्य भाषण (mythology) कह कर प्रसिद्ध करते हैं।

हमने तिथिकाल का निर्धारण युग-गुणना ज्योतिष शास्त्र (astronomy) पर निर्भर करती है। यह बात कि भारतीय इस विद्या के प्रकाण्ड विद्वान् थे, सिद्ध हो चुकी है।

जब किसी यूरोपियन ज्योतिषी ने भारत की ज्योतिष विद्या की परीक्षा कर प्रशंसा की तो ये महा पंडित कूक लगाने लगे कि यह विद्या तो भारत में अरब देशों से आयी है। और जब किसी प्राचीन अरब के विद्वान् का कोई ऐसा वक्तव्य उपस्थित किया जाए जो भारतीय विद्या अथवा वेद की महिमा में हो तो ये पक्षपाती गण उसे और उसके कथन को झूठा (myth) कहने लगते हैं। इस प्रकार के अनेक उदाहरणों में से हम एक यहाँ दे रहे हैं।

एक डॉक्टर ऐलफ्रेड रसल (Dr. Alfred Russel) ने अपनी पुस्तक में लिखा है-

...पृ.१६ का शेष

In the earliest records which have come down to us from the past, we find ample indications that accepted standard of morality and the conduct resulting from these were in no degree inferior to those which prevail today, though in some respects they differed from ours. The wonderful collections of hymns known as the Vedas is a vast system of religious teachings as pure and lofty as those of the finest portions of the Hebrew Scriptures. Its authors were fully our equals in their conception of universe and the Deity, expressed in finest poetic language.

We must admit that the mind which conceived and expressed in appropriate language such ideas as are every where present in those vedic hymns, could not have been inferior to those of the best of our religious teachers and poets, to our Million, Shakespeare, Tennyson.

इसका भाव इस प्रकार है-

पुराने समय जो लेख हमें इस समय मिलते हैं उनमें भी हमें इस बात के पर्याप्त संकेत प्राप्त होते है कि उस समय के सदाचारादि विषय के विचार और व्यवहार हमारे से किसी रूप में भी कम कोटि के नहीं थे, यद्यपि कई अंशों में वे हम से भिन्न अवश्य थे। वेद के नाम से प्रसिद्ध संग्रह एक विस्तृत विचार पध्धति है जो पवित्रता और उड़ान की ऊँचाई में यहूदी प्राचीन साहित्य की सर्वोत्तम अंशों से कम नहीं। उन (वेदों) के लेखक अपनी विश्व सम्बन्धी और ईश्वर सम्बन्धी कल्पना में पूर्णतः हमारे (यहूदियों के) बराबर थे। उन (वेदों) की भाषा सर्वोत्तम कविता के रूप में है।

हमें यह मानना पड़ता है कि वह मन जिसने उन विचारों को जो उन वैदिक ऋचाओं में उचित भाषा में प्रकट किए गए हैं, जन्म दिया है, उनसे निम्न कोटि का नहीं, जो हमारे धार्मिक गुरु और कवि मिल्टन, शैक्सपीयर, टैनिसन ने कहे हैं।

परन्तु हमारे दास प्रवृत्ति 'वैदकि यज्ञ' के लेखकों को मैक्समुल्लर और ग्रिफित इत्यादि ईसाई पादरी ही प्रमाण प्रतीत हुए है।

के प्रचार की धुन में लग गए। निज़ामाबाद में आर्य सिद्धान्तों का मौखिक प्रचार आरम्भ कर दिया। आर्य समाज के अनुकूल कुछ लोगों को होते देख पं. नरेन्द्र जी मन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा, हैदराबाद स्टेट द्वारा सन् १९३५ ई. में निज़ामाबाद आर्य समाज की स्थापना करके नियमित प्रचार की व्यवस्था की। आर्य समाज का प्रचार स्थानीय पुलिस अधिकारियों को खटकने लगा। मुहर्रम के अवसर पर एक अभियोग नियमाधार १०४ के अन्तर्गत चलाया गया और एक वर्ष के लिए मुचलका लेकर छोड़ दिया। परन्तु आप प्रचार का कार्य पूर्ववत् करते रहे और प्रत्यक्ष रूप में आर्य सत्यगाट्टरह में धन-संग्रह आदि का कार्य करने लगे। यह देख वरिष्ठ अधिकारियों के द्वेष की सीमा न रही। ता. २-८-३९ ई. को पुलिस स्टेशन के सामने एक धर्मान्ध अरब द्वारा श्री राधाकृष्ण जी का कत्ल करवा दिया गया। इस प्रकार इन्होंने वैदिक धर्म पर अपने आपको बलिदान कर दिया।

१०) **शिवचन्द्र जी**

श्री शिवचन्द्र जी का जन्म ३ मार्च, सन् १९१६ ई. को दुवलगुण्डी पायगा ग्राम में हुआ। आपके पिता का नाम अण वसप्पा था। आप १९३५ ई. में मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। जिसके कारण गवर्नमेन्ट ने १६५ पुरस्कार दिया। आप इस्लामिया स्कूल हुमनाबाद में अध्यापकी का कार्य करते रहे और इसी काल में उन्होंने आर्य सहित्य का पठन-पाठन भी आरम्भ किया। आपकी कार्यकुशलता तथा सदाचार से मुग्ध होकर पं.नरेन्द्र जी मन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा, हैदराबाद ने उन्हें आर्योपदेशक बनने के निमित्त प्रेरित किया। आपने सहर्ष स्वीकार करके प्रचार कार्य आरम्भ कर दिया। हुमनाबाद, सदाशिव पेठ आदि स्थानों में जहां मुसलमानों का बहुत प्राबल्य है, समाजें तथा पाठशालाएं स्थापित की। जिसका परिणाम यह हुआ कि मुसलमान द्वेष करने लगे। ता. ३-३-४२ ई. को होली के अवसर पर जब कि आर्य समाज हुमनाबाद का जलूस निकाल रहा था, मुस्लिम गुण्डों ने पुलिस की सहायता से बन्दूकों से आक्रमण कर श्री शिवचन्द्र जी के साथ-साथ श्री लक्ष्मण राव जी, श्री रावजी राव इंगडे और श्री नरसिंह राव जी को गोली का निशाना बनाया। ये तीनों व्यक्ति भी आर्य समाज के विशेष भक्त थे।

ఇప్పుడు 51 సిద్ధాంతముల ప్రశ్న మిగిలి యున్నది. ఇవి స్వామీజీ యొక్క సొంత సిద్ధాంతములు కావు. నిజానికి అవి వేద విహిత సిద్ధాంతములు. ఈ సిద్ధాంతముల యొక్క విస్తార పూర్వకమైన వ్యాఖ్య స్వామీజీ సత్యార్థ ప్రకాశము మరియు ఋగ్వేదాది భాష్య భూమికలో చేసినాడు. వీటిని సర్వ సాధారణ జనులు అవగతము చేసుకొనుటకు సంక్షేప రూపములో 51 సిద్ధాంతములలో పొందు పరిచారు. "స్వమంత వ్యామంతవ్య"ము యొక్క అర్థమును స్వామీజీ వేదముల నుండే గ్రహించి మనకు ఉద్బోధించారనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనము గమనించాలి.

స్వామీజీ ప్రభోదించిన సిద్ధాంతములు వేదానుకూలమైనవి అయినందువల్ల మేము వాటిని అంగీకరిస్తాము. ఆధునిక కాలములో వేదములు లుప్తమైనందు వల్ల స్వామీజీ సాధారణ హిందీ భాషలో జనులలో వ్యాపింప జేయుట వలన మనము వారికి ఋణపడి యున్నాము. వారు అద్వితీయ వేద పండితుల గుట వలన వారు చెప్పిన వాస్తవాలలో శ్రద్ధను ఉంచుతాము. కాని స్వామీజీ లేఖలో వేద విరుద్ధమైన విషయమున్నచో లేక అనువాద ములో అసత్యము ప్రతీతమైనచో మనము వాటిని విడిచి పెట్టే పూర్ణ అధికారమున్నది. ఇదే స్వామీజీ మనకిచ్చిన ఆజ్ఞ. మేము వైదిక ధర్మావలంబులము, దయానందీ యులము కాదు.

జ్ఞానము కలదని నమ్ముతాము. మరి ఈ రెండింటిలో సమానత్వముంద వలెను. ఉదా హరణకు ఒక ఇంజనీర్ ఒక యంత్రాన్ని తయారు చేస్తే దాని వెంట దానిని తెరిచె జోడించే మరియు నడిపించే విధిని కూడా వ్రాస్తాడు. ఒకవేళ దీనిలో సమానత లేనిచో పుస్తకము పూర్తిగా నిరర్థకమగును. అందు వలన ఏ గ్రంథములోనైతే సృష్టిక్రమమునకు విరుద్ధమైన విషయాలు ఉన్నప్పుడు అది సృష్టికర్త జగదీశ్వరుని ద్వారా రచింపబడినది కాజాలదు. ఇతర ధర్మ గ్రంథములు సృష్టి విరుద్ధమైన తంత్రాల (Miracles)తో నిండి యున్నవి.

ప్రశ్న : ఏదైనా వేరే విషయము ?

జవాబు : విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. కాని సిద్ధాంత రూపము మాత్రము ఇదే. ఈ సిద్ధాం తముల కథనము ముందే చేయబడినది. ఇంకొక విషయమేమనగా వేరే మతముల కంటే వైదిక ధర్మము ఉత్కృష్టమైనదని చెప్పుటకు ఇంకొక కారణము గలదు. అది జీవనము యొక్క సమస్య. నాస్తికుని ప్రకారము ఈ జన్మ కంటే ముందు ఏమీ లేదు. మరణించిన

सांख्यदर्शनम्

- आचार्य आनन्दप्रकाश

प्रसङ्गः - अनन्त दुःखों से पीड़ित जनता का उद्धार करने की इच्छा से महर्षि कपिल 'सांख्य' अथवा 'षष्टितन्त्र' नामक मोक्षशास्त्र का प्रारम्भ करते हैं, जिसका प्रथम सूत्र है-

अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थः ॥१॥

(त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिः) (आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक-इन) तीन प्रकार के दुःखों की अतिशय निवृत्ति (अत्यन्तपुरुषार्थः) परम पुरुषार्थ (मोक्ष) है (अथ) (उसके प्रतिपादक शास्त्र का) प्रारम्भ करते हैं।

'पुरुषार्थ' पद का तात्पर्य है-पुरुष का प्रयोजन। पुरुष (जीवात्मा) के दो प्रयोजन हैं-भोग और अपवर्ग भोग-प्राप्ति भी पुरुषार्थ है, किन्तु 'अपवर्ग' अत्यन्त पुरुषार्थ (परम पुरुषार्थ) से प्राप्त होता है। तब पुरुष (जीवात्मा) का दीर्घकाल पर्यन्त (३२ नील, १० खरब, ८० अरब वर्ष पर्यन्त) दुःखों से छुटकारा हो जाता है।

समस्त दुःखों को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है-आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक।

१) जो अपने आन्तरिक कारणों से उत्पन्न होता है, वह 'आध्यात्मिक' दुःख है। यह दो प्रकार का है-एक 'शारीर' दूसरा 'मानस'। शरीर के वात, पित्त, कफ आदि की विषणता से अथवा आहार-विहार आदि की विषमता से जो दुःख उत्पन्न होता है, उसे 'आध्यात्मिक शारीर' दुःख कहते हैं, तथा जोकाम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरादि मनोविकारों के कारण दुःख उत्पन्न होता है, वह 'आध्यात्मिक मानस' दुःख कहलाता है।

२) जो दुःख अन्य प्राणियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है, उसे 'आधिभौतिक' दुःख कहते हैं। जैसे-सांप, बिच्छू आदि के काटने से, अन्य हिंसक प्राणियों के आघात से, किसी के मारने-पीटने अथवा कटु वाक्य कहने से।

३) जो दुःख वर्षा, धूप, हिमपात, विद्युत्पात, भूकम्प, वायु आदि के उत्पातों से उत्पन्न होता है, उसे 'आधिदैविक दुःख' कहते हैं।

इन तीनों प्रकार के दुःखों से जीवात्मा की अतिशय निवृत्ति हो जाना अत्यन्त पुरुषार्थ अर्थात् मोक्ष कहलाता है।

विशेष :- हेय, हेयहेतु, हान, हानोपाय-इन चार व्यूहों (समूहों) वाले इस मोक्षशास्त्र के दो व्यूहों-'हेय' और 'हान' का सूत्रकार ने संक्षेप से निर्देश किया है। हेय=त्रिविधदुःख, हान=त्रिविधदुःख-अत्यन्तनिवृत्ति।

शंका :- महर्षि कपिल ने दुःखनिवृत्ति के साथ-साथ परमानन्द प्राप्ति को अत्यन्त पुरुषार्थ (मोक्ष) क्यों नहीं कहा ?

समाधान :- परमानन्द की प्राप्ति विवेक ज्ञान का साध्य है, तदनन्तर अवश्यम्भावी होने से वह (परमानन्द) अनायास प्राप्त हो जाता है। अतः महर्षि ने दुःखात्यन्तनिवृत्ति को ही परम पुरुषार्थ कहा है। जैसा कि छठे अध्याय में सूत्र है- ''सुखलाभाभावादपुरुषार्थत्वमिति चेन्न द्वैविध्यात्'' (सां.६/९) अर्थात् यदि यह कहो कि सुखप्राप्ति के अभाव से मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना व्यर्थ है, तो ठीक नहीं, क्योंकि मोक्ष में दोनों प्रकार का अस्तित्व होता है-दुःखों की अत्यन्तनिवृत्ति के साथ-साथ परमात्मा के आनन्दस्वरूप का भी साक्षात् अनुभव होता है॥

प्रसङ्ग :- अब 'हानोपाय' (मोक्ष के साधनों) का प्रतिपादन करना है, उससे पूर्व सूत्रकार यह बताते हैं, कि हान के उपाय क्या नहीं हैं :-

न दृष्टात् तत्सिद्धिर्निवृत्तेऽप्यनुवृत्तिदर्शनात् ॥२॥

यहाँ 'त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिः' की अनुवृत्ति है।

(दृष्टात्) दृष्ट (उपाय) से (तत्सिद्धिः) उस (त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्ति-मोक्ष) की सिद्धि (न) नहीं हो सकती (निवृत्तेः) (किसी दुःख के) निवृत्त होने पर (अपि) भी (अनुवृत्तिदर्शनात्) (अन्य दुःखों की) अनुवृत्ति (उपस्थिति, सिलसिला) देखे जाने से।

दुःखों की निवृत्ति के लिए लोक में अनेक दृष्ट उपाय देखे जाते हैं। जैसे-औषधि, धन, अनुकूल स्त्री-पुरुष, टी.वी., वीडियो आदि से आध्यात्मिक-दुःखों की, नीतिशास्त्रोक्त विविध उपायों से तथा शस्त्रास्त्रादि से आधिभौतिक दुःखों की तथा वातानुकूलित घर, शान्तियाग, मन्त्रादि से आधिदैविक दुःखों की निवृत्ति करते हैं। किन्तु सूत्रकार का कहना है, कि इन सब लौकिक दृष्ट साधनों से त्रिविधदुःखों की आत्यन्तिक निव-त्ति (मुक्ति) सम्भव नहीं, क्योंकि इन भौतिकसाधनों से यदि कोई दुःख दूर हो भी जाए, तो अन्य दुःखों की अनुवृत्ति (उपस्थिति) बनी रहती है। और इन साधनों के नष्ट होने पर पुनः उन्हीं निवृत्त दुःखों की भी अनुवृत्ति देखी जाती है। अतः धनादि दृष्ट उपायों से त्रिविधदुःखों की अत्यन्तनिवृत्ति नहीं हो सकती। इसी अभिप्राय से श्रुति में कहा है- **''अमृतत्वस्य तु नाऽऽशास्ति वित्तेन''** (वृ.३.४/५/३)-हे मैत्रेयि ! धन से अमृ-तत्व (मोक्ष) की आशा नहीं की जा सकती।

प्रथम दो सूत्रों के आशय के अनुसार ईश्वरकृष्ण की प्रथम सांख्यकारिका में कहा है-

दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ। दृष्टे साऽपार्था चेन्नैकान्तात्यन्तोऽभावात्॥ (सां.का.१)

प्रशङ्ग :- यदि धनादि के संग्रह से दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो सकती, तो मुष्य इस ओर क्यों प्रवृत्त होता है ?

प्रात्यहिकक्षुत्प्रतीकारवत् तत्प्रतीकारचेष्टनात् पुरुषार्थत्वम् ॥३॥

(प्रात्यहिकक्षुत्प्रतीकारवत्) प्रतिदिन की भूख के प्रतीकार (हटाने) के समान (तत्प्रतीकारचेष्टनात्) अन्य दुःखों के प्रतीकार (रोकने) के लिए प्रयत्न किए जाने से

(पुरुषार्थत्वम्) (धनार्जन आदि भी) पुरुषार्थ है ।

जिस प्रकार स्थायी निवृत्ति न होते हुए भी दैनिक भूख के कष्ट को हटाने के लिए प्रयत्न किया जाता है, वैसे ही अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनादि का अर्जन आवश्यक है, क्योंकि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने पर ही व्यक्ति अत्यन्त-पुरुषार्थ (मोक्ष) की प्राप्ति के लिए आत्म-चिन्तन में प्रवृत्त हो पाता है । अतः धनादि का अर्जन भी 'पुरुषार्थ' है, परन्तु 'अत्यन्त-पुरुषार्थ' नहीं ।

प्रसङ्ग :- यदि औषधादि से दुः की निवृत्ति हो जाती है, तो धनादि दृष्ट साधनों को दुःख की अत्यन्त-निवृत्ति के लिए उपादेय क्यों नहीं माना जाता ? सूत्रकार इस शंका का समाधान करते हैं :-

सर्वासम्भवात् सम्भवेऽपि सत्तासम्भवाद्धेयः प्रमाणकुशलैः ॥४॥

(सर्वासम्भवात्) सब (अवस्थाओं) में (दृष्ट साधनों के) सम्भव न होने से (सम्भवे) सम्भव होने पर (अपि) भी (सत्तासम्भवात्) दुःख की सत्ता बने रहने से अथवा अतन्यन्त दुःखनिवृत्ति न होने से (प्रमाणकुशलैः) प्रमाणकुशल (तत्त्वज्ञानात्मक अध्यात्म शास्त्र में कुशल, विवेकी) व्यक्तियों द्वारा (मोक्ष के लिए दृष्ट उपायों का अवलम्बन) (हयः) त्याज्य है ।

प्रथम तो सब देश, काल, अवस्थाओं में सभी दृष्टसाधन उपलब्ध नहीं होते, और यदि किसी प्रकार ये सब साधन जुटा भी लिए जाएं, तो भी इनसे अत्यन्त दुःखनिवृत्ति सम्भव नहीं, दुःख की विद्यमानता रहती ही है, इसलिए प्रमाणकुशल व्यक्तियों के द्वारा त्रिविधदुःखों ही अत्यन्तनिवृत्ति के लिए दृष्ट उपायों का अवलम्बन सर्वथा हेय (परित्याज्य) है । इसी आशय को योग-दर्शन में प्रकट किया है-

"परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणव-त्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः" (योग.२/१५) । अर्थात् परिणामदुःख, तापदुःख, संस्कारदुःख- ये तीनों प्रकार के दुःख सब भोगों में विद्यमान रहने से और सत्त्वादि तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए सभी (भोग) दुःखरूप ही हैं ।

प्रसङ्ग :- मोक्ष की सिद्धि के लिए दृष्ट साधनों के त्याज्य होने में सूत्रकार अन्य हेतु प्रस्तुत करते हैं :-

उक्तर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्षश्रुतेः ॥५॥

(मोक्षस्य) मोक्ष के (उत्कर्षात्) उत्कर्ष से (अपि) भी (दृष्ट साधनों की हेयता और अदृष्ट साधन (योगाङ्गानुष्ठान) की उपादेयता है (सर्वोत्कर्षश्रुतेः) (वेदादि में मोक्ष के) सर्वोत्कृष्ट (सर्वोत्तम) सुने जाने से (बताने से) ।

श्रुति मोक्ष को सर्वोत्तम बताती है । जैसे- **"न वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोर पहतिरस्ति, अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥"** (छां८/१२/१)-निश्चय से, शरीर वाले आत्मा के सुख-दुःखों का नाश नहीं होता, आत्मा के अशरीर होने पर ही उसे सुख-दुःख स्पर्श नहीं करते । **"एषाऽस्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पत् ।"** (बृह.४/३/३२)-यह (मोक्षावस्था) ही इसकी उत्कृष्ट गति और यही ऊँची सम्पत्ति है । अतः अत्यन्त दुःखनिवृत्तिरूप मोक्ष के लिए यज्ञ आदि दृष्ट साधन हेय और अष्टांगयोगरूप अदृष्ट साधन उपादेय हैं । वेद में भी कहा है- **"त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं.....मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्"** (ऋ.७/५९/१२) अर्थात् जीवात्मा प्रार्थना करता है कि- "मैं मृत्यु से छुटकारा पा जाऊँ, अमृत से नहीं" । **"मृत्योर्माऽमृतं गमय"** (शत.१४/३/१/३०), बृह.उ.१/३/२८)=हे परमेश्वर ! मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाइए, इत्यादि ।

प्रसङ्ग :- हो सकता है कि दृष्ट लौकिक उपायों से त्रिविधदुःख की अत्यन्तनिवृत्ति न हो, किन्तु वेदप्रतिपाद्य यज्ञ याग आदि के अनुष्ठान से तो हो सकती है । वेद में कहा है- **"अपामसोममममृता अभूम"** (ऋ.८/४८/३) अर्थात् हम सोमपान (याग) करते हैं और अगर हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में मोक्ष के लिए अन्य उपायों के प्रतिपादन के लिए इस शास्त्र का प्रारम्भ अनावश्यक है । इस पर सूत्रकार कहते हैं-

अविशेषश्चोभयोः ॥६॥

(उभयोः) (दुःख की अत्यन्तनिवृत्ति के लिए) दोनों प्रकार के (लौकिक-वैदिक उपायों का) (अविशेषः) साम्य (च) (ही) है ।

जिस प्रकार लौकिक धन आदि साधनों से दुःखों की अत्यन्तनिवृत्ति नहीं होती, वैसे ही वेदविहित यज्ञादि कर्मों से भी नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों उपायों से विवेक ज्ञान (प्रकृति और पुरुष की पृथक्ता का अनुभूतिरूप ज्ञान) नहीं होता जो कि मोक्ष का साक्षात् उपाय है । सांख्यसूत्रों में आगे स्पष्ट किया है- **"ज्ञानान्मुक्तिः, बन्धोविपर्यात, नियतकारणत्वान्न समुच्चयविकल्पौ"** (सां.३/२३-२५) ।

यज्ञादि अनुष्ठान अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा विवेकज्ञान में सहायक हैं, मोक्ष के साक्षात् उपाय नहीं । परन्तु आत्मज्ञान या विवेकज्ञान को वेदों में भी मोक्ष का साधन बताया है । यथा- **"विद्ययाऽमृतमश्नुते"** (यजु.४०/१४), **"तमेवविदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय"** (यजु.३१/१८)-विद्या (ज्ञान) से अमृत की प्राप्ति होती है । उस चेतन महान् पुरुष को जान कर ही मृत्यु से पार जाया जा सकता है, मोक्ष के लिए अन्य मार्ग नहीं है । औषधोपचार आदि लौकिक तथा यागादि वैदिक कर्म मोक्षार्थ असफल हैं । **यथा पापकृतो लोकः क्षीयते, तथा पुण्यकृतोऽपि** । अर्थात् जैसे पापकर्मों से प्राप्त सुख नष्ट हो जाता है, वैसे ही पुण्यकर्मों से प्राप्त सुख भी समाप्त हो जाता है ।

सूत्र ५,६ के अनुसार सां.का. में कहा है-

दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशय युक्तः । तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात् ॥ -सां.का.२

अर्थात् वैदिक उपाय भी लौकिक उपाय के तुल्य ही है, क्योंकि वह वैदिक उपाय अविशुद्धि, क्षय तथा अतिशय से युक्त है । इससे विपरीत (प्रकृति-पुरुष-विवेकज्ञानरूप) उपाय ही श्रेयस्कर है । वह व्यक्त, अव्यक्त और पुरुष के ज्ञान से होता है ।

प्रसङ्ग :- औषधादि लौकि उपाय तथा यज्ञ, याग आदि वैदिक काम्य कर्मों को मोक्ष का असाधन बताकर, विवेकज्ञान को उपाय बताने के लिए पहले बन्धन का कारण (हेयहेतु) विचारते हैं । क्या जीवात्मा स्वभाव से बन्धन में रहता है ? सूत्रकार कहते हैं-

न स्वभावतो बद्धस्य मोक्षसाधनोपदेशविधिः ॥७॥

(स्वभावतः) स्वाव से (बद्धस्य) बन्धन

में पड़े आत्मा के (मोक्षसाधनोपदेशविधिः) मुक्ति दिलाने वाले उपदेशों का विधान (न) (उचित) नहीं है ।

यदि जीवात्मा का 'बन्ध' (त्रिविध दुःख से सम्बन्ध) स्वाभाविक माना जाए, तो उसके मोक्ष के लिए किन्हीं साधनों का उपदेश करना व्यर्थ है ।

प्रसङ्ग :- अब सूत्रकार 'बन्धन' को स्वाभाविक मानने पर मोक्ष के साधनों के उपदेश की व्यर्थता का कारण बताते हैं-

स्वभावस्यानपायित्वादननुष्ठानलक्षणम प्रामाण्यम् ॥८॥

(स्वभावस्य) स्वभाव का (अनपायित्वात्) नाश न होने से (अननुष्ठानलक्षणम्) (उसके लिए) व्यर्थ अनुष्ठान (अप्रामाण्यम्) प्रमाणहीन है ।

किसी भी वस्तु का स्वभाव (अपना रूप) हटाया नहीं जा सकता । जब तक वस्तु रहती है, तब तक उसका स्वभाव भी रहता है । यदि स्वभाव से उष्ण अग्नि में उष्णता न रहे तो वह अग्नि नहीं कही जा सकती । पानी का स्वभाव शीतता समाप्त करने पर वह भाप में बदलने लगता है । इसी प्रकार यदि आत्म स्वभाव से बद्ध हो, तो उसे कभी मुक्त नहीं किया जा सकता, तब मुक्ति के लिए उपदेश करना अप्रामाणिक है, क्योंकि उस उपदेश का अनुष्ठान करना व्यर्थ है । अतः यदि जीवात्मा को स्वभाव से बद्ध मानें तो उसके मोक्ष के लिए शास्त्र का आरम्भ व्यर्थ होगा । जबकि शास्त्रों में मोक्ष के साधन बताए गए हैं । यथा- **'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति.'** (यजु.३१/१८), **'तमेव विद्वान् न बिभाय मृत्योः'**(अथ१०/८/४४) इत्यादि ।

प्रसङ्ग :- ननु, शास्त्र के बल पर साधनों का अनुष्ठान हो सकता है, फिर-अप्रामाण्य क्यों होगा ? सूत्रकार इस शंका का उत्तर देते हैं -

नाशक्योपदेशविधिरुपदिष्टेऽप्यनुपदेशः ॥९॥

(अशक्योपदेशविधिः) असम्भव फल के लिए अपदेश का विधान (न) नहीं होता (उपदिष्टे) उपदेश किए जाने पर (अपि) भी (अनुपदेशः) वह उपदेश नहीं (किन्तु उपदेशाभास है) ।

जब किसी वस्तु का स्वभाव बदल ही नहीं सकता, तब उसकी निवृत्ति के लिए शास्त्र का उपदेश व्यर्थ है । अतः शास्त्र के बल पर भी अशक्य का अनुष्ठान नहीं हो सकता ॥

तरुवात कूडा ఏమీ మిగలదు. అతడు చెప్పేదేమి టంటే-

యావజ్జీవేత్ సుఖం జీవేత్, ఋణం కృత్వాఘృతం పిబేత్ । భస్మీ భూతస్యదేహస్య, పునరాగమనం కుతః ॥

అనగా-జీవించి యున్నంతవరకు సుఖముగా జీవించుము. అప్పు చేసి కూడా విలాసాలు భోగించు. ఎందుకనగా మరణించిన తరువాత శరీరము భస్మమై నప్పుడు ఎక్కడి నుండి తిరిగి వస్తాము ? ఈ వ్యక్తులు స్వచ్ఛంద జీవితము గడుపు తారు. ఎవరి ముందు తమను భార్యులుగా భావించరు.

కాని క్రైస్తవులు, ముసల్మానులు ఎవరైతే నాస్తికులు కారో వారు కూడా చాలా వరకు ఏమని భావిస్తారంటే మన జీవనము యొక్క ఆరంభము ఈ జన్మతోనే జరుగుతుంది. చనిపోయిన తరువాత మనము స్వర్గము లేక నరకములోకి పంపబడతాము. ఈశ్వరుడు తన శక్తిని చూపుటకు మనలను తన ఇష్టము వచ్చినట్లు తయారు చేస్తాడు. మన అదృష్టాన్ని కూడా ముందే నిర్మించి ఉంచాడు. ఇది నమ్మే వారిని గురించి ఆలోచిస్తే మనకు అర్థము కాని విషయము ఒకటుంది. మరి న్యాయ కారి, దయాళువు అయిన పరమాత్ముడు ఏ కారణము లేకుండా ఒకరిని స్వర్గములోకి మరి యొకరిని నరకములోకి ఎలా పంప గలడు ? ఆ వ్యక్తి తన స్వేచ్ఛతో ఏమీ చేయ లేదు, ఏమైన కర్మ చేస్తే తన భాగ్య నిర్మాణము (దేవునిచే ముందే నిశ్చయిం చబడినట్లు)నకు అనుకూలముగా చేసాడు. ఈ సిద్ధాంతము కూడా బాధ్యతా భావాన్ని మన హృదయములో ఉత్పన్నము చేయదు. పైగా ఒక విధమైన వివశత, నిస్సహాయ స్థితిని మానవునికి కలిగి స్తుంది.

పశ్న : కాని స్వామీజీ "సత్యార్థ ప్రకాశము" చివర్లో తన 51 మంతవ్యామంతవ్యములను వ్రాసినాడు. ఆర్య సమాజీయులందరు వీటిని ఒప్పుకొంటారు. అలాంటప్పుడు స్వామీజీకి ఇతర మతములలో పైగంబరుల వలె స్థానము లేదని ఎట్లా చెపుతారు ?

జవాబు : దీనిలో చాలా తేడా ఉంది. ఒకవేళ అన్య మతముల ప్రవర్తకులను వారి మత ముల నుండి తొలగించినచో వారి మతము సమూలముగా నష్ట మగుతుంది. అంతేగాక వాటి అస్థిత్వమే ఉండదు. కాని స్వామీ దయానందుని తొలగించినచో వైదిక ధర్మములో ఏమా త్రము లోపము రాదు. స్వామీజీ స్వయంగా ఏమని చెప్పారంటే "నేను అధర్మము మరియు సిద్ధాంతమును, ఏవైతే వేద విహితమైనవై యున్నవో వేటిని బ్రహ్మ మొదలుకొని జైమిని ముని పర్యంతము అందరు ఋషులు-మునులు గుర్తించారో వాటినే అంగీకరిస్తాను. ఏవైతే నా లేఖలో వేదాను కూలమై యున్నవో అదే సత్యము. ఎక్కడైనా వేద విరుద్ధమైనచో విడిచి పెట్టదగినవి." దీని కొరకే స్వామీజీ ఆర్య సమాజము యొక్క నాల్గవ నియమ ములో చెబుతాడు. సత్యమును గ్రహించుటలో మరియు అసత్యమును త్యజించుటలో ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండ వలెను.

పశ్న : కాని ఆర్య సమాజీయులు కూడా అన్య మతస్తులు ప్రవక్తల (పైగంబరుల) కిచ్చిన స్థానాన్నే దయానందుల వారికి ఇచ్చె దరు కదా?

జవాబు : అట్లు కాదు. ఆర్య సమాజీయులు దయానందుని ఒక నవీన ధర్మ సంస్థాపకు డుగా అంగీకరించరు. ఇంకా వైదిక ధర్మము యొక్క రహస్యాలను (మర్మములను) జనుల వద్దకు చేర వేసే ఒక ప్రచారకునిగా అంగీకరి స్తారు

ప్రశ్న : ఏదైనా వేరే విశేషముంటే చెప్పండి.

జవాబు : ఈశ్వరుని విశ్వసించే వారందరూ సృష్టిని నిర్మించే వాడు పరమాత్ముడు. మేము కూడా అలాగే నమ్ముతాము. దానితో పాటు ఈశ్వర కృత గ్రంథములలో ఈశ్వరుని యొక్క వైదిక ధర్మము నేర్పునదేమనగా మనకు ఇంతకు ముందు ఎన్నో జన్మలు ఉండినవి, ముందు కూడా ఉండగలవు. జ్ఞానము మరియు మంచి లేక చెడ్డ సంస్కారాలు మన పూర్వ జన్మకు సబంధించినవై ఉంటాయి. మనము వాటిని తీసికొని ఈ జన్మను ఆరంభిస్తాము. ఈ జన్మలో కలిగిన జ్ఞానము మరియు సంస్కారాలను తీసికొని చనిపోయిన తరువాత వేరే జన్మను పొందుతాము. ఈ విధంగా మనకు ఒకప్పుడు మంచి జన్మ మరి యొకప్పుడు చెడు జన్మలు లభిస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా ముందుకు, వెనుకకు పయనము చేస్తూ ఈశ్వర ప్రాప్తి అనగా మోక్షము వైపు ముందుకు వెళుతూ ఉంటాము. ఒక సమయము ఎలా వస్తుందంటే మన పరిపూర్ణ పుణ్య కర్మల వల్ల ఈశ్వరునికి చాలా దగ్గర వరకు వెళ్ళి పరమానందాన్ని పొందుతాము. అందువల్ల మన కొరకు తొందరపాటు ఏ మాత్రము స్థానము లేదు. కాని కేవలము ఈ జీవితము యొక్క సుఖ ప్రాప్తికై ప్రాకులాడ కుండా మన లక్ష్యముపై దృష్టి సారించాలి. ఈ సిద్ధాంతము మాత్రమే మన జీవితము యొక్క జఠిల సమస్యలకు, వైశమ్యాలకు సంపూర్ణముగా పరిష్కరించ గలుగుతుంది. ఒక కాలంలో గ్రీక్ దేశపు సోక్రటీస్ తదితర తత్వవేత్తలు మరియు రోమ్ దేశపు నివాసులు ఇదే సిద్ధాంతాన్ని నమ్మే వారు. కాని ఈ సిద్ధాంతము ప్రస్తుతము వైదిక సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించే వారికే దాయ భాగము (పెద్దల నుంచి సంక్రమించే ఆస్తి)గా మిగిలి యున్నది. ఇది సర్వోత్కృష్టమైనది.

३१ जुलाई २०२४ को मुन्शी प्रेमचन्द जी की जन्म जयन्ती

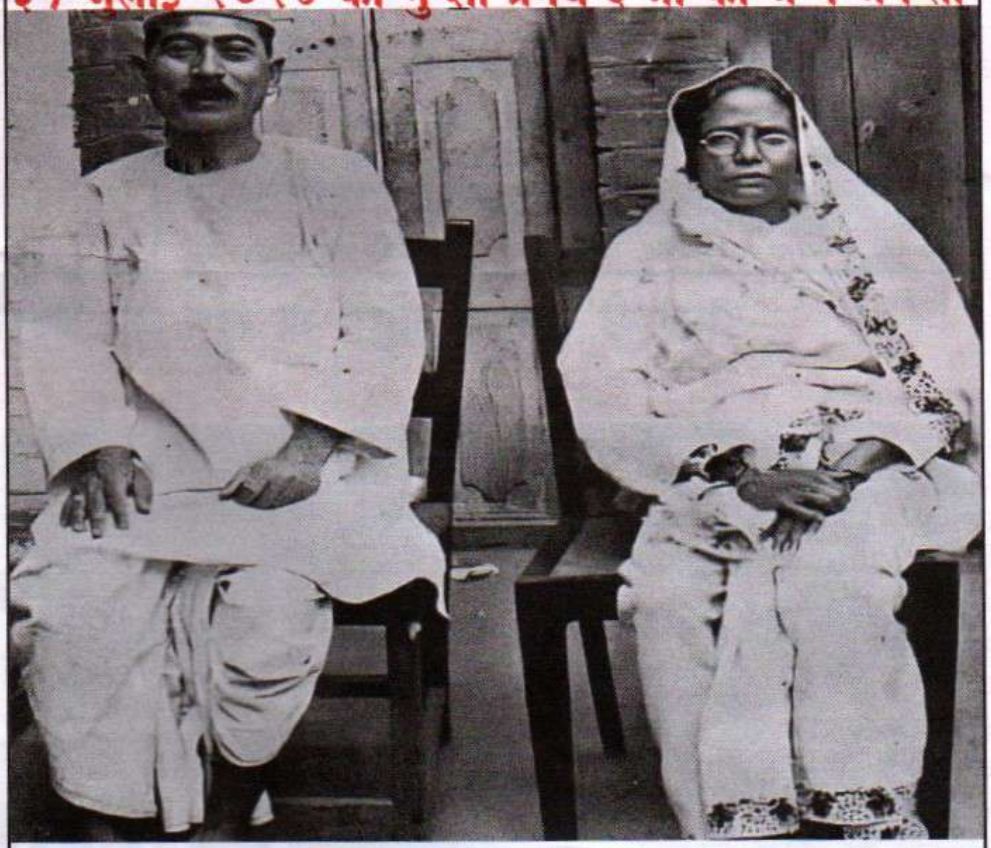

मुन्शी प्रेमचन्द जी (धनपतराय श्रीवास्तव) का पत्नी के साथ फोटो जिसमें उन्होंने फटे जूते पहने हुए हैं। इस फोटो को देखकर महान लेखक हरिशंकर परसाई जी ने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था "सोचता हूँ, यदि फोटो खिंचवाने की अगर यह वेश-भूषा है, तो पहनने की कैसी होगी ? नहीं, इस आदमी की अलग-अलग वेश-भूषा नहीं होंगी। इसमें वेश-भूषा बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है, वैसा ही फोटो में खींच जाता है।

यह व्यक्ति पोशाक बदल भी नहीं सकता क्योंकि इसने भारत की जनता के मर्म को छुआ है। इस की पोशाक के पीछे ***गोदान*** *जैसे महाकाव्य की आदरांजलि भी तो है। महान् लेखक उपन्यासकार मुन्शी प्रेमचन्द जी को सादर प्रणाम व शत शत नमन्।*

वीर सरदार ऊधम सिंह

कि इस नरक जैसी गुलामी में जीने से तो देश के लिए बलिदान हो जाना अच्छा है और इस आततायी डायर को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए।

इस बीच उनका एक लकड़ी के ठेकेदार से सम्पर्क हुआ। उसका अमेरिका में कारखाना था। वे उसके साथ अमेरिका चले गए। कुछ ही समय में अपनी मेहनत से वे नौकर से कारखाने के भागीदार बन गए। उस समय भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन जोरों पर था। भारत के स्वतन्त्रता सेनानी आजादी के लिए लाठी-गोली खा रहे थे, फांसी के फन्दे पर झूल रहे थे, बलिदान पर बलिदान हो रहे थे और अंग्रेजों के क्रूर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। अमेरिका के समाचार पत्र में इस प्रकार के दर्द भरे समाचार पढ़कर उनका हृदय कसमसा उठता था। सरदार भगतसिंह के साथ पत्र व्यवहार ने उस कमससाहट को और बढ़ा दिया। वे आजादी के आन्दोलन में भाग लेने के लि अमेरिका में जमा-जमाया धन्धा छोड़कर आ गए। भारत आकर उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक रूप में अपना नया नाम रखा- 'राम मुहम्मद आजाद' और आजादी के आन्दोलन में कूद पड़े। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली गई। उन्हें चार वर्ष के कारावास की सजा मिली।

चार वर्ष बाद ऊधम सिंह जेल से छूटे। इस बीच जन. डायर ग्लैंड जा चुका था। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से ऊधम सिंह इग्लैंड पहुंच गए। वे वहां छह-सात वर्षों तक रहे और इस अवसर की प्रतीक्षा करते रहे कि आततायी डायर से बदला लेने का सुनिश्चित मौका कब मिले।

फिर एक दिन वह मौका मिल ही गया। १३ मार्च १९४० के दिन लन्दन के 'इण्डिया हाउस' में क सभा का आयोजन किया गया। उसका मुख्य वक्ता या वही डायर। ऊधम सिंह बी श्रोता के रूप में सभा में पहुंच गया और उपयुक्त स्थान पर बैठ गया। वक्ता के रूप में डायर की बारी आई। बड़ी अकड़ के साथ वह खड़ा हुआ और बड़े अभिमान के साथ अपने क्रूर कारनामों की शेखी बघारने लगा। आजादी के आन्दोलन में भाग लेने वाले भारतीय नेताओं के प्रति वह अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा था।

तभी ठांय.....ठांय.....ठांय, गोलियों की आवाज गूंजी।

आततायी और अभिमानी डायर खून से लथपथ मन्च पर पड़ा था। उसकी अभद्र वाणी शान्त हो चुकी थी और दुष्ट हाथ शिथिल हो चुके थे। सबा में भगदड़ मच गई। लोग भाग निकले।

किन्तु एक युवक वहां पिस्तौल हाथ में लिए निडर खड़ा था। वह युवक था वीर ऊधम सिंह। चाहतो तो वह भागकर छिप सकता था किन्तु भागने को वह कायरता समझता था, इसलिए भागा नहीं, किसी और को उसने कुछ नहीं कहा।

उधम सिंह को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। अदालत में मुकदमा चला। मजिस्ट्रेट ने पूछा- 'तुमने डारय की हत्या क्यों की ?' उधम सिंह ने निर्भीक बाव से उत्तर दिया- **'उस पापी ने मेरे देश के हजारों निहत्थे और शान्त लोगों की हत्या की थी। उस हत्यारे से बदला लेना मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य था। मैंने उपना कर्तव्य पूरा किया है। मुझे न इसका अफसोस है और न मृत्युदण्ड का भय। देश के स्वाभिमान के लिए मैं खुशी-खुशी बलिदान होने को तैयार हूं।'**

मजिस्ट्रेट ने ऊधम सिंह की मृत्युदण्ड की सजा सुनाई। १२ जून १९०० ईस्वी को उस वीर को लन्दन की पैटन विला जेल में फान्सी पर लटका दिया गया। बलिदानियों की सूची में एक वीर का नाम और अंकित हो गया।

Date of Publication 2nd and 17th of every Month, Date of Posting 3rd and 18th of every Month
आर्य जीवन 18-08-2024 REGISTERED-REGD. No. D/RNP/HCD-783/2024-26 RNI No. 52990/93

ఆర్య జీవన్
హిందీ-తెలుగు ద్విభాషా పక్ష పత్రిక
Editor : Sri Vithal Rao Arya, M.Sc., L.L.B., Sahityaratna.
Arya Pratinidhi Sabha A.P.-Telangana, Sultan Bazar, Hyderabad-500095.
Phone : 040-24753827, 24756983, Narendra Bhavan : 040-24760030.
Annual Subscription Rs. 250/- సంపాదకులు : విఠల్ రావు ఆర్య, ప్రధాన సభ

डायर से निहत्थे लोगों के खून का बदला लेने वाले
वीर सरदार ऊधम सिंह

साहस, शौर्य और अत्याचार के विरुद्ध प्रतिशोध की प्रतिमूर्ति के प्रतीक वीर ऊधम सिंह का नाम आजादी के इतिहास में सदा सम्मान के साथ याद किया जाता रहेगा। भारत माता के इस सपूत ने जलियां वाला बाग में निहत्थे हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने वाले अत्याचारी जनरल डायर को उसी के देश में जाकर गोली से उड़ाकर बदला लिया था और इस प्रकार देश के स्वाभिमान को जीवन्त रखा था।

ऊधम सिंह का जन्म २६ दिसम्बर १८९९ को पंजाब की पटियाला रियासत के सुनाम नामक कस्बे में कम्बोज वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम रहल सिंह था। वे रेलवे में गेटमैन थे। बचपन में ऊधम सिंह की माता का देहान्त होने के बाद उनके पिता अमृतसर में आकर रहने लगे। कुछ समय बाद उनके पिता का भी देहान्त हो गया। अब ऊधम सिंह और उनके बड़े भाई साधु सिंह अनाथ हो गए। जीवन निर्वाह का उपाय न देख रिश्तेदारों ने दोनों भाइयों को अनाथालय में भरती करा दिया। कुछ समय बाद बड़े भाई साधु सिंह का भी देहान्त हो गया। ऊधम सिंह बिल्कुल अकेला रह गया। उसने स्वयं को निराशा में डूबने नहीं दिया, साहस से काम लिया और एन्ट्रेन्स परीक्षा पास कर ली। साथ में कुछ कारीगरी का काम भी सीख लिया।

इस बीच भारत की आजादी के इतिहास में एक बर्बर और महत्वपूर्ण घटना घटी जो ऊधम सिंह के युवा मन पर गहरा और अमिट प्रभाव छोड़ गई। रोलट एक्ट के विरोध में देश भर में व्यापक उत्तेजना फैली हुई थी। वैशाखी का पवित्र पर्व था। पंजाब में १३ अप्रैल १९१९ को अमृतसर के जलियां वाला बाग में रौलट एक्ट के विरोध में विशाल जनसभा हो रही थी जिसमें पच्चीस हजार के लगभग बच्चे, बूढ़े, जवान, स्तिरयां सभी उत्साह से सम्मिलित हुए थे। सभी लोग निहत्थे थे, शान्त थे। सभा शान्तिपूर्वक चल रही थी। कुछ ही देर में बर्बर स्वभाव के लिए बदनाम अंग्रेज फौज का जनरल डायर गोरी फौज को लेकर आया और सभा स्थल को घेर लिया। बिना किसी चेतावनी के उसने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। बाग से निकलने का एक ही तंग रास्ता था। गोरी पल्टन उस रास्ते की ओर खड़ी हो गई और उधर जाने वालों तथा दीवार फान्दकर भागने वालों पर गोलियां बरसाई गई। पन्द्रह मिनट में १६५० राउंड गोलियां चलाई गई। जलियां वाला बाग में अब सभा की जगह लाशों के ढेर लग गए थे। गोलियां बरसाकर जनरल डायर चलता बना। घायल बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं,

युवाओं की चीखो-कराहों और बहते खून की धाराओं से सारा वातावरण नरकमय दिखाई पड़ता था। इस कांड में लगभग एक हजार लोग मारे गए थे और कई हजार घायल हुए थे। सन्सार में ऐसा नृशंस कांड शायद ही कोई हुआ हो। सरदार ऊधम सिंह ने इस कांड को अपनी आंखों से देखा था। गोलियों से घायल हुए लोगों को सम्भालने और सेवा करने की जिम्मेदारी अनाथालय के विद्यार्थियों को भी सौम्पी गई थी। सरदार ऊधम सिंह भी उनमें एक थे। बस इस दर्दनाक दृश्य को देखकर उसी दिन ऊधम सिंह के मन में आततायी डायर से बदला लेने का विचार बैठ गया था। उन्होंने निश्चय कर लिया था

THE VIEWS & THE NEWS PUBLISHED IN THIS ISSUE MAY NOT NECESSARILY BE AGREEABLE TO THE EDITOR.
Editor : Sri Vithal Rao Arya E-mail : acharyavithal@gmail.com, Mobile : 09849560691.
సంపాదకులు : శ్రీ విఠల్ రావు ఆర్య, ప్రధాన సభ, ఆర్య ప్రతినిధి సభ ఆ.ప్ర.-తెలంగాణ, సుల్తాన్ బజార్, హైదరాబాద్-95. Ph : 040-24753827, Email : acharyavithal@gmail.com
संपादक : श्री विट्ठल राव आर्य, प्रधान सभा ने सभा की ओर से आकृति प्रिन्टर्स, चिक्कड़पल्ली में मुद्रित करवा कर प्रकाशित किया। Narendra Bhavan
प्रबन्धक प्रकाशक : श्री हरिकिशन वेदालंकार, मन्त्री सभा आर्य प्रतिनिधि सभा, आं.प्र.- तेलंगाना, सुल्तान बाज़ार, हैदराबाद-500 095. Ph : 040 24760030.